पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 23, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून

अधिसूचना

13 जनवरी, 2015 ई0

उ0वि0नि0 आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबन्धन और शर्तें)

अधिनियम, 2015

सं0 यूईआरसी/एफ (9) आरजी/यूईआरसी/2015/1883 : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39, 40, 42 और 86 के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और इस निमित्त संक्षमधारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाना प्रस्तावित करते है, अर्थात् :–

अध्याय –1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 होगा।

(2) ये विनियम, पूर्वोक्त तिथि से प्रभावी हो कर वर्तमान उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 को प्रतिस्थापित कर सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. परिधि

ये विनियम राज्य की राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणालियों का उपयोग करने वाले उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू होंगे, जिसमें राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के साथ साथ ऐसी प्रणाली के उपयोग किये जाने का समय भी सम्मिलित है।

3. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) ''अधिनियम'' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) ''अनुमोदित क्षमता'' से उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं हेतु अन्तःसंयोजन के बिन्दु (बिन्दुओं) पर द्विपक्षीय/सामूहिक लेनदेन हेतु एम0डी0एल0सी0/आर0एल0डी0सी0/एस0एल0डी0सी0 द्वारा अनुमोदित मेगावॉट में क्षमता अभिप्रेत है;

(3) ''आवेदक'' से ऐसा उपभोक्ता, व्यापारी, वितरण, अनुज्ञापी या एक उत्पादक कम्पनी अभिप्रेत है जिसने यथास्थिति, संयोजन अथवा उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन किया है;

(4) ''सी0ई0ए0 संयोजन विनियम'' से समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(5) ''आयोग'' से अधिनियम की धारा 82 में संदर्भित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(6) ''उपभोक्ता'' शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में दिया गया है किन्तु यह उत्तराखण्ड राज्य के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं तक सीमित रहेगा जिन पर ये विनियम लागू होने है;

(7) ''संविदाकृत भार'' से किलो वॉट एम्पियर (kVA) में वह भार अभिप्रेत है जिस पर वितरण अनुज्ञापी शासित अनुबंधों और शर्तों के अधीन आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ है और जो संयोजित भार से भिन्न है;

(8) ''दिवस'' से 00.00 बजे से 24.00 घण्टे बाद समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(9) ''वितरण अनुज्ञापी'' से उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए वितरण प्रणाली के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु प्राधिकृत अनुज्ञापी अभिप्रेत है;

(10) ''अंतःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता'' से ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है जिसका उस वितरण अनुज्ञापी के साथ आपूर्ति करार है जिसके आपूर्ति क्षेत्र के उपभोक्ता अवस्थित है और उक्त वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता होना बन्द किये बिना वर्ष में 'एक माह या अधिक में' एक दिन या अधिक में एक टाईम स्लॉट या अधिक में उन्मुक्त अभिगमन के अधीन वहकिसी अन्य व्यक्ति से अपनी मांग की पूर्ण या आंशिक निकासी के विकल्प का उपयोग करता है तथा सुसंगत श्रेणी पर लागू दर अनुसूची के अनुसार मासिक मांग प्रभार और अन्य प्रभारों का भुगतान करना जारी रखता है;

(11) इन विनियमों के प्रयोजन से ''अपरिहार्य घटना'' से नीचे लिखी घटनाएं या परिस्थितियां या घटनाओं और/या परिस्थितियों का मेल अभिप्रेत है:

(a) प्राकृतिक घटना जिसमें आकाशीय बिजली, आग और धमाका, भूकम्प, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, तूफान, बवंडर, भूगर्भीय आश्चर्य या ऐसी अपवादी रूप से प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों की सांख्यिकी से अधिकता में हों; या

(b) कोई युद्ध, आक्रमण, सैनिक संघर्ष, सार्वजनिक शत्रुता, बंदी, अवरोध, क्रान्ति, दंगे, सशस्त्र विप्लव, आतंकवादी या मिलिट्री कार्यवाई; या

(c) अग्नि, धमाका, रेडियाएक्टिव संदूषण और विषैला खतरनाक रासायनिक संदूषण;

(12) "आई0ई0जी0सी0" से समय–समय पर संशोधित अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (h) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अभिप्रेत है।

(13) एक उत्पादक स्टेशन हेतु टाईम ब्लॉक में "असंतुलन" से मेगावॉट में इसका वास्तविक उत्पादन ऋण अनुमोदित क्षमता (मेगावॉट में) अभिप्रेत है और एक उपभोक्ता या क्रेता के लिए इसकी वास्तविक रिकॉर्डेड ऊर्जा ऋण उपभोक्ता के परिसर पर इसकी अनुसूचित ऊर्जा अभिप्रेत है;

(14) "दीर्घावधि अभिगमन" से न्यूनतम 12 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष हेतु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन अभिप्रेत है;

(15) "मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन" से न्यूनतम तीन माह और अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के उन्मुक्त अभिगमन अभिप्रेत है;

(16) "माह" से ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार एक कैलेण्डर माह अभिप्रेत है;

(17) "नोडल एजेन्सी" से इन विनियमों के विनियम 12 (3) में परिभाषित नोडल एजेन्सी अभिप्रेत है;

(18) "उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता" (संक्षेप में उपभोक्ता) से ऐसा उपभोक्ता, व्यापारी, वितरण अनुज्ञापी या एक उत्पादक कंपनी अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किया गया है;

(19) "लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन" से एक समय पर एक माह तक की अवधि हेतु उन्मुक्त अभिगमन अभिप्रेत है;

(20) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(21) "राज्य ग्रिड संहिता" से समय–समय पर संशोधित और इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तिथि पर लागू अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) खण्ड (G) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड संहिता अभिप्रेत है;

(22) "अटकी हुई पारेषण/वितरण क्षमता" से ऐसी पारेषण/वितरण क्षमता अभिप्रेत है जिनके एक दीर्घविधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा पहुंच के अधिकारों के त्याग के कारण अनुपयोग में रहने की संभावना है;

(23) ''राज्य पारेषण कंपनी'' से, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 की उप–धारा (1) के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है;

(24) ''पारेषण अनुज्ञापी'' से उत्तराखण्ड राज्य में पारेषण लाईनें स्थापित करने और चलाने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञापी अभिप्रेत है;

(25) इन विनियमों में उपयोग किये गये सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम या आई0ई0जी0सी0 या राज्य ग्रिड संहिता, वितरण संहिता में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिए यथा स्थिति अधिनियम या आई0ई0जी0सी0 या राज्य ग्रिड संहिता, वितरण संहिता में नियत किया गया है;

(26) इन विनियमों के निर्वचन हेतु समय–समय पर संशोधित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह संसद के एक अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

अध्याय–2

संयोजिता

4. संयोजिता

उन्मुक्त अभिगमन उपयोक्ता तब तक संयोजन प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे जब तक कि वे समय समय पर यू0ई0आर0सी0 (नये एच0टी0 और ई0एच0टी0 संयोजन जारी करना, भार में वृद्धि और कमी) विनियम, 2008 के विनिर्दिष्ट वोल्टेज स्तरों पर पहले से ही संयोजित न हों।

परन्तु आर0ई0 उत्पादकों को वोल्टेज स्तरों पर संयोजन प्रदान किये जायेंगे जब तक कि वे समय–समय पर संशोधित यू0ई0आर0सी0 (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईधन आधारित सह उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क और अन्य निबंधन) विनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पहले से संयोजित न हों।

5. राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली पर संयोजन हेतु आवेदन प्रक्रिया

(1) आवेदक **संयोजन हेतु** एस0टी0यू0 द्वारा नियत की गई विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगा।

(2) आवेदन के साथ देहरादून में देय उत्तराखण्ड ऊर्जा पारेषण निगम (पिटकुल)के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पांच लाख रूपये की अप्रतिदेय फीस संलग्न करेगा।

(3) संयोजन हेतु **आवेदन** में, आवेदक की प्रस्तावित भौगोलिक अवस्थिति, विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा अर्थात् एक उत्पादक स्टेशन जिसमें कैप्टिव उत्पादक संयंत्र भी सम्मिलित है, के मामले में इन्जेक्ट की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा और एक उपभोक्ता के मामले में निकासी की जाने वाली

ऊर्जा की मात्रा जैसे विवरणों के साथ राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली व अन्य ऐसे विवरण जो कि पूर्वोक्त विस्तृत प्रक्रिया में राज्य पारेषण कम्पनी द्वारा नियत किये गये हो, का समावेश होगा।

परन्तु ऐसे मामलों में जहां एक बार आवेदन दाखिल कर दिया गया है और उसके पश्चात् आवेदक की अवस्थिति में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ हो या राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के साथ विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हुआ हो वहां आवेदक एक नया आवेदन करेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

6. **संयोजन हेतु आवेदन का प्रक्रमण और एस0टी0यू0 द्वारा उसे प्रदान करना:—**

(1) आवेदन प्राप्त होने पर एस0टी0यू0 उसका प्रक्रमण करेगी तथा सी0एफ0ए0 संयोजन विनियमों में विनिर्दिष्ट आवश्यक अन्तः संयोजन अध्ययन करेगी।

(2) राज्य पारेषण कम्पनी ऊपर उप—विनियम (1) के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने से तीस (30) दिन के भीतर तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त सभी सुझावों और टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्:

(a) एस0एल0डी0सी0 द्वारा विनिर्दिष्ट आशोधनों या शर्तों के साथ आवेदन स्वीकार करेगी;

(b) यदि आवेदन इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो कारण अभिलिखित कर आवेदन अस्वीकार करेगी।

(3) ऊपर उप—विनियम (2) के खण्ड (a) के अनुसार एक आवेदन के स्वीकार होने पर राज्य पारेषण कम्पनी आवेदक को एक औपचारिक प्रस्ताव देगी।

(4) आवेदक द्वारा आवश्यक शर्तों का अनुपालन हो जाने पर एस0टी0यू0 सम्बन्धित आवेदक को यह अधिसूचित करेगा कि इसे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली से संयोजित किया जा सकता है।

(5) एस0टी0यू0 आवेदक के साथ एक संयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा और उसकी एक प्रति राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रदान करेगा।

(6) संयोजन प्रदान करते समय, एस0टी0यू0 उस उप—स्टेशन या पूलिंग स्टेशन या स्विचयार्ड का नाम विनिर्दिष्ट करेगी जहां संयोजन प्रदान किया जाना है। यदि संयोजन वर्तमान या प्रस्तावित लाईन लूपिंग इन और लूपिंग आउट द्वारा प्रदान किया जाना है तो एस0टी0यू0 संयोजन बिन्दु और उस लाईन का नाम विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर संयोजन प्रदान किया जाना है। एस0टी0यू0 उपभोक्ता की सुविधाओं/उपकरणों जैसे स्विचयार्ड, एस0टी0यू0 के उप—स्टेशन पर इजेक्शन/निकासी के बिन्दु तक अन्तः संयोजन उपकरण और उस के पूर्ण होने की समय सीमा के व्यापक डिजायन फीचर्स इंगित करेगी। इन सुविधाओं की संरचना की लागत उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा वहन की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां संयोजन एस0टी0यू0 उप—स्टेशन पर दिया गया है वहां उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को एस0टी0वी0 के उप—स्टेशन में ब्रेकर इत्यादि की लागत और एस0एल0डी0सी0 को रियल टाईम डाटा के पारेषण हेतु आवश्यक उपकरणों की लागत भी वहन करनी होगी।

परन्तु एस0टी0यू0 में किये जाने वाले कार्यों से अन्यथा हेतु उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के पास इन कार्यों को एस0टी0यू0 के पर्यवेक्षण के अधीन किये जाने का विकल्प होगा।

(7) एस0टी0यू0 और आवेदक सी0ई0ए0 संयोजन विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे। संयोजन प्रदान कर देने से आवेदक ग्रिड के साथ ऊर्जा के किसी विनिमय हेतु प्राधिकृत नहीं होगा जब तक कि वह इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त न कर ले।

(8) उत्पादक स्टेशन, जिसमें कैप्टिव उत्पादक संयंत्र भी सम्मिलित है, जिसे ग्रिड से संयोजन प्रदान किया गया है, को राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जो कि अनुमति प्रदान करते समय ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखेगा, की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, किसी प्रकार का उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने से पहले ही उत्पादक स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने से पूर्व ग्रिड में अपनी अशक्त ऊर्जा इन्जेक्ट कर पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण करने की अनुमति होगी। एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट जिसके शुल्क का अवधारण आयोग द्वारा किया जाना है, से ऐसी अशक्त ऊर्जा के वाणिज्यिक व्यवहार ऐसे उत्पादकों हेतु शुल्क के निबंधनों और शर्तों पर, लागू विनियमों द्वारा शासित होंगे। अन्य उत्पादक स्टेशन्स जिनका शुल्क आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया जाना है, से ग्रिड में इजेक्ट की गई अशक्त ऊर्जा उस समय तक केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित यू0आई0 दरों पर प्रभारित की जायेगी जब तक कि आयोग द्वारा असंतुलन की दर अवधारित नहीं कर दी जाती।

7. **उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा वितरण प्रणाली से संयोजन हेतु आवेदन प्रक्रियाः–**

(1) वितरण प्रणाली से संयोजन चाह रहे सभी योग्य उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक संयोजन हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियत की गई विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र में वितरण अनुज्ञापी के पास आवेदन करेंगे।

(2) आवेदन के साथ देहरादून में देय यू0पी0सी0एल0 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तीन लाख रूप्ये की अप्रतिदेय फीस संलग्न की जायेगी।

(3) संयोजन हेतु आवेदन में उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक का पता, इन्जेक्ट/निकासी की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा जैसे विवरण और ऐसे अन्य विवरण जो कि प्रक्रिया में वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियत किये जायें का समावेश होगा।

परन्तु ऐसे मामलों में जहां एक बार आवेदन दाखिल कर दिया गया है और उसके पश्चात् आवेदक की अवस्थिति में भौतिक परिवर्तन हुआ है या वितरण प्रणाली के साथ विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हुआ है वहां आवेदक एक नया आवेदन करेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जयेगा।

8. **आवेदन का प्रक्रमण और वितरण अनुज्ञापी द्वारा एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को वितरण प्रणाली में संयोजन प्रदान करना:–**

(1) आवेदन प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञापी एस0टी0यू0 के साथ परामर्श कर और उसके साथ समन्वय कर आवेदन का प्रक्रमण करेगा और सी0ई0ए0 संयोजन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक अन्तःसंयोजन अध्ययन करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी ऊपर उप–विनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के तीस (30) दिन के भीतर;

(a) आवेदन स्वीकार करेगा;

(b) यदि ऐसा आवेदन इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा।

(3) उपरोक्त उप–विनियम के खण्ड (a) के अनुसार एक आवेदन स्वीकार किये जाने के मामले में वितरण अनुज्ञापी आवेदक को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजेगा।

(4) आवेदक द्वारा आवश्यक शर्तों का अनुपालन होने के पश्चात् वितरण अनुज्ञापी संबंधित आवेदक को अधिसूचित करेगा कि इसे वितरण प्रणाली से संयोजित किया जा सकता है।

(5) वितरण अनुज्ञापी आवेदक के साथ एक संयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा और उसकी एक प्रति राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध करायेगा।

(6) संयोजन प्रदान करते समय वितरण अनुज्ञापी उस उप–स्टेशन या पूलिंग स्टेशन या स्विचयार्ड का नाम विनिर्दिष्ट करेगा जहां संयोजन अनुमन्य किया जाना है। यदि संयोजन वर्तमान या प्रस्तावित लाईन के लूपिंग इन और लूपिंग आउट द्वारा दिया जाना है तो वितरण अनुज्ञापी संयोजन के बिन्दु और ऐसी लाईन का नाम विनिर्दिष्ट करेगा।

(7) वितरण अनुज्ञापी उपभोक्ता की सुविधाओं/उपकरणों जैसे स्विचयार्ड, वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन में इन्जेक्शन/निकासी के बिन्दु तक अन्तः संयोजन उपकरण की व्यापक डिजायन विशेषताओं और इसको पूरा करने के लिए समय सीमा इंगित करेगा। इन सुविधाओं की संरचना की लागत उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा वहन की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां संयोजन वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन पर दिया जाता है वहां उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन में बे, ब्रेकर्स इत्यादि तथा एस0एल0डी0सी0 को रियल टाईम डाटा के पारेषण हेतु आवश्यक उपकरणों की लागत भी वहन करनी होगी। आवेदक और वितरण अनुज्ञापी सी0ई0ए0 संयोजन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन में किये जाने वाले कार्यों से अन्यथा कार्यों के लिए उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के पास वितरण अनुज्ञापी के पर्यवेक्षण के अधीन इन कार्यों को करने का विकल्प रहेगा।

(8) संयोजन प्रदान करने से आवेदक को ग्रिड के साथ किसी ऊर्जा के विनिमय का प्राधिकार नहीं होगा जब तक कि वह इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त न कर ले।

(9) यदि ग्राहक एक उत्पादक कम्पनी है, जिसमें उत्पादक संयत्र सम्मिलित है, जिसे वितरण प्रणाली से संयोजन प्रदान किया गया है, को राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जो कि अनुमति प्राप्त करते समय ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखेगा, की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, किसी प्रकार का उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने से पहले ही उत्पादक स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने से पूर्व ग्रिड में अपनी अशक्त ऊर्जा इन्जेक्ट कर पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण करने की अनुमति होगी। एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट जिसके शुल्क का अवधारण आयोग द्वारा किया जाता है, से ऐसी अशक्त ऊर्जा के वाणिज्यिक व्यवहार ऐसे उत्पादकों हेतु शुल्क के निबन्धनों और शर्तों पर, लागू विनियमों द्वारा लागू होंगें, अन्य उत्पादक स्टेशन्स जिनका शुल्क आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया जाता है, से ग्रिड में इन्जेक्ट की गई अशक्त ऊर्जा उस समय तक केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित यू0आई0 दरों पर प्रभारित की जायेगी जब तक कि राज्यान्तर्गत ए0बी0टी0 तंत्र के अधीन यू0आई0 दरें आयोग द्वारा अवधारित न कर दी जायें।

9. उन्मुक्त अभिगमन चाहने के लिये वितरण अनुज्ञापी के उपभोक्ता के साथ वितरण प्रणाली में संयोजन हेतु आवेदन प्रक्रिया

उपभोक्ता के साथ वितरण प्रणाली में संयोजन यू0ई0आर0सी0 (नये एच0टी0 व ई0एच0टी0 संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि और कमी) विनियम, 2008 और ऐसे उपभोक्ताओं के लिए इन विनियमों के लागू उपबंधों में नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार शासित होगा।

अध्याय –3

उन्मुक्त अभिगमन हेतु साधारण उपबंध

10. उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्यता और समाधान की जाने वाली शर्तें

(1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापी, उत्पादक कम्पनियों, कैप्टिव उत्पादक संयंत्र और उपभोक्ता इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित पारेषण और अन्य प्रभारों के भुगतान पर राज्य पारेषण अनुज्ञापी की राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली तक उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य होंगे।

(2) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापी, उत्पादक स्टेशन्स, कैप्टिव उत्पादक संयंत्र और उपभोक्ता इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग और प्रभारों के भुगतान पर वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली तक उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य होंगे।

(3) इन विनियमों के अधीन राज्य के वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र के भीतर अवस्थित उपभोक्ता जिनके पास 100 किलोवॉट एम्पीयर और इससे अधिक संविदाकृत भार है तथा 11 किलोवॉट या इससे अधिक पर अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित है और औद्योगिक फीडर के द्वारा संयोजित हैं, को उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति होगी।

परन्तु जब उपभोक्ता औद्योगिक फीडर से संयोजित हो तब उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति केवल तभी होगी जब ऐसे औद्योगिक फीडर पर सभी उपभोक्ता उन्मुक्त अभिगमन का विकल्प चाहें तथा ऐसे उन्मुक्त अभिगमन के अधीन निकासी की एक ही समय की अनुसूची हो।

परन्तु जब औद्योगिक फीडर से संयोजित दो या इस से अधिक उपभोक्ता निरंतर आपूर्ति के विकल्प का उपयोग कर रहे हों तब उन्मुक्त के अधीन उन्हें निकासी की एक ही समय की अनुसूची की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि वे उपभोक्ता जो स्वतंत्र फीडर पर नहीं हैं उन्हें इस शर्त के अधीन उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति होगी कि वे उनको पोषित करने वाले फीडर पर कम्पनी द्वारा लगाये गये रोस्टरिंग प्रतिबंध से सहमत हों।

परन्तु आगे यह भी कि ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के सम्बन्ध में वितरण अनुज्ञापी के कर्तव्य, अधिनियम की धारा 42 (3) के अनुसार भेदभाव बिना उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने वाले कॉमन कैरीअर होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या जिसके विरूद्ध आवेदन के समय वितरण/पारेषण अनुज्ञापी की दो माह से अधिक की बिलिंग के बकाया देय हो वह उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य नहीं होगा।

11. **दीर्घावधि अभिगमन या मध्यम अवधि या लघु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान** करने **के** लिए मानदण्ड

(1) दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करने से पहले एस0टी0यू0/ वितरण अनुज्ञापी को उनकी संबंधित राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली हेतु आवश्यक वृद्धि के प्रति उचित सम्मान होगा।

(2) किसी आवेदक को मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन तभी प्रदान किया जायेगा जब ऐसे उन्मुक्त अभिगमन के कारण परिणामी ऊर्जा प्रवाह को उपरोक्त प्रणालियों के वर्तमान ऊर्जा प्रवाह के मुकाबले में क्षमता का विधिवत विचार करने के पश्चात् वर्तमान/अपेक्षित पारेषण/वितरण प्रणाली या निष्पादन के अधीन पारेषण/वितरण प्रणाली में संजोया जा सके।

परन्तु मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन अथवा लघु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के एक मात्र उद्देश्य से पारेषण/वितरण प्रणाली से कोई वृद्धि प्राप्त नहीं की जायेगी।

परन्तु आगे यह भी कि एक डेडिकेटड पारेषण/वितरण लाईन का निर्माण इन विनियमों के प्रयोजन से पारेषण/वितरण प्रणाली की वृद्धि के रूप में नहीं समझा जायेगा।

अध्याय —4

उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन प्रक्रिया और अनुमोदन

12. उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन प्रक्रिया

(1) उन्मुक्त अभिगमन हेतु सभी आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किये जायेंगे और इन विनियमों के अनुसार नोडल एजेन्सी के पास जमा किये जायेंगे। यदि कोई उपभोक्ता वितरण अनुज्ञापी के साथ संयोजित है तो आवेदन की प्रति सूचनार्थ वितरण अनुज्ञापी को भेजी जायेगी।

परन्तु यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो अन्य दस्तावेजों के साथ—साथ वह आवेदन के साथ पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति जमा करेगा।

(2) उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले सभी आवेदक यह शपथ—पत्र जमा करेंगे कि जिस क्षमता (ऊर्जा की मात्रा) हेतु उन्मुक्त अभिगमन चाहा गया है उसके लिए कोई ऊर्जा क्रय करार (पी0पी0ए0) या कोई अन्य द्विपक्षीय करार नहीं किया गया है।

(3) नोडल एजेन्सी, आवेदन शुल्क, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज और आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा निम्नलिखित सारिणी में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगेः—

क्र0 सं0	अवधि	निकासी और इजेक्शन बिन्दु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (रु0)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निपटान हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति दिन)
1.	लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन	वितरण प्रणाली में निकासी और इन्जेक्शन बिंदु	वितरण अनुज्ञापी	2000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	• यदि एस0टी0ओ0ए0 पहली बार लागू किया गया है तो 7 कार्य दिवस • पश्चातवर्ती एस0टी0ओ0ए0 लागू होने पर 3 कार्य दिवस
2.		वितरण प्रणाली में निकासी बिन्दु और राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में इन्जेक्शन बिन्दु	एस0एल0डी0सी0	5000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	—तदैव—

3.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी बिन्दु और वितरण प्रणाली में इन्जेक्शन बिन्दु	एस0एल0डी0सी0	5000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	—तदैव—
4.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी और इन्जेक्शन बिन्दु	एस0एल0डी0सी0	5000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	—तदैव—
5.		विभिन्न राज्यों में निकासी और इन्जेक्शन बिन्दु	जहां उपभोक्ता अवस्थित है उस क्षेत्र का आर0एल0डी0सी0	सी0ई0 आर0सी0 विनियमों के अनुसार	• लागू हुए अनुसार संबंधित एस0एल0डी0सी0एस0 से सहमति • आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	सी0ई0आर0सी0 विनियमों के अनुसार
1.	मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन	वितरण प्रणाली में निकासी और इंजेक्शन बिन्दु	वितरण अनुज्ञापी	50000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो यह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की **आशयित** तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	20 दिन

2.		वितरण प्रणाली में निकासी बिन्दु और राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में इन्जेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	100000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	40 दिन
3.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी बिन्दु और वितरण प्रणाली में इजेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	100000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	40 दिन
4.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी बिन्दु और इजेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	100000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	
5.		विभिन्न राज्यों में निकासी	सी0टी0यू0	सी0ई0	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत	सी0ई0आर0सी0 विनियम के

		और इन्जेक्शन बिन्दु		आर0सी0 विनियम के अनुरूप	• पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा। • लागू हुए अनुसार संबंधित एस0एल0डी0 सी0 से सहमति	अनुसार
1.		वितरण प्रणाली में निकासी और इन्जेक्शन बिन्दु	वितरण अनुज्ञापी	50000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	20 दिन
2.	दीर्घ अवधि उन्मुक्त अभिगमन	वितरण प्रणाली में निंकासी बिन्दु और राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में इन्जेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	200000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	• जहां पारेषण/ वितरण प्रणाली का सम्वर्धन आवश्यक नहीं है, वहां 120 दिन • जहां पारेषण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक है वहां 270 दिन • जहा वितरण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक है

						वहां 180 दिन
3.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी बिन्दु और वितरण प्रणाली में इजेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	200000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत, बैंक गारंटी • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन या उपभोक्ता पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य कि एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	–तदैव–
4.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी और इजेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	200000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत, बैंक गारंटी • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन या उपभोक्ता पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य कि एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	–तदैव–
5.		विभिन्न राज्यों में निकासी और इजेक्शन बिन्दु	सी0टी0यू0	सी0ई0 आर0सी0 विनियम के अनुसार	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत, बैंक गारंटी • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन या उपभोक्ता पहले से ग्रिड से संयोजित	

					नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य कि एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा। • लागू हुए अनुसार संबंधित एस0एल0डी0सी0, एस0टी0यू0 से सहमति	

13. **दीर्घावधि अभिगमन हेतु प्रक्रिया**

(1) **राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली को संलग्न करना**

यहां नीचे उप–विनियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्यान्तर्गत दीर्घावधि अभिगमन **हेतु प्रक्रिया** समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (संयोजन, राज्यान्तर्गत **पारेषण** में दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि अभिगमन प्रदान करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2009 के अनुसार होगी।

(2) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली **को** संलग्न किये बिना यहां ऊपर उप–विनियम (1) के उपबन्धों के अधीन राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण **प्रणाली** को संलग्न करते हुए राज्यान्तर्गत दीर्घावधि अभिगमन यहां नीचे खण्ड (a) से (j) तक के उपबंधों के अनुसार होगा।

(a) दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करने **हेतु** आवेदन में उस कंपनी या कंपनियों के नाम का समावेश होगा जिन से विद्युत प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, इसके साथ ही ऊर्जा की मात्रा तथा ऐसे अन्य विवरण होंगे जिन्हें विस्तृत प्रक्रिया में नोडल एजेन्सी द्वारा नियत किया जाये।

परन्तु यदि पारेषण/वितरण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक हो तो आवेदक को इन विनियमों के अध्याय –5 में समोवेशित विनियम 20 के उप विनियम (1) के तीसरे परन्तुक और उप विनियम (2) के चौथे परन्तुक के अनुसार इसके लिए पारेषण/व्हीलिंग प्रभार भी वहन करने होंगे।

परन्तु आगे यह कि जहां आवेदक की अवस्थिति में भौतिक परिवर्तन हो या राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण का उपयोग करते हुए विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हो वहां एक नया आवेदन किया जायेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

(b) आवेदक, परिपूर्ण रूप से राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण **प्रणाली** नियोजित करने के लिए नोडल एजेन्सी को समर्थ बनाने हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी

प्रदान करेगा जिसमें राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए विनिमय की जाने वाली ऊर्जा के मूल्यांकन हेतु आधार और विभिन्न कंपनियों या क्षेत्रों को या से पारेषित की जाने वाली ऊर्जा सम्मिलित है।

(c) आवेदन के साथ पारेषित की जाने वाली कुल ऊर्जा का प्रति मेगावॉट रू0 10,000.00 (दस हजार) की बैंक गारंटी संलग्न की जोयगी। यह बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया के अधीन नियत किये गये तरीके से नोडल एजेन्सी के पक्ष में देनी होगी।

(d) प्रति मेगावॉट रू0 10,000.00 (दस हजार) की बैंक गारंटी को दीर्घावधि अभिगमन करार के निष्पादित होने तक विधिमान्य और अस्तित्वशील रखा जायेगा। इसके पश्चात् बैंक गारंटी उन्मोचित हो जायेगी।

परन्तु यदि पारेषण/वितरण का संवर्धन आवश्यक हो तो आवेदक विस्तृत प्रक्रिया के उपबन्धों के अनुसार निर्माण चरण हेतु एस0टी0यू0 के पास दूसरी बैंक गारंटी जमा करेगा।

(e) आवेदक द्वारा आवेदन वापस ले लेने पर या जब पारेषण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक न हो तब यदि इसके कार्यान्वयन से पूर्व दीर्घावधि अभिगमन त्याग दिया जाता है तो नोडल एजेसी द्वारा बैंक गारंटी भुनाई जा सकेगी।

(f) आवेदन प्राप्त होने पर, नोडल ऐजेन्सी, वितरण अनुज्ञापी के साथ परामर्श कर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करने का निर्णय ऊपर विनियम 12 के उप–विनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लिया जाये, यथा संभव शीघ्र और हर दशा में आवश्यक अध्ययन करवायेगी।

परन्तु यदि नोडल एजेन्सी को परामर्श या समन्वय की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो वह उपयुक्त निर्देशों के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है।

(g) प्रणाली अध्ययन के आधार पर नोडल एजेन्सी दीर्घावधि अभिगमन हेतु आवश्यक राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली विनिर्दिष्ट करेगी। यदि वर्तमान राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक हो तो इसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करते समय नोडल एजेन्सी, आवेदक को वह तिथि सूचित करेगी जिस तिथि से ऐसा दीर्घावधि अभिगमन प्रदान किया जायेगा। साथ ही पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों का अनुमान भी प्रदान करेगी जिस में ऊपर उप–विनियम के प्रथम परन्तुक के अनुसार पारेषण/वितरण के संवर्धन से सम्बन्धित कार्यों, अतिरिक्त पारेषण/व्हीलिंग प्रभार, यदि कोई हैं, सम्मिलित है, जिनका इन विनियमों के अध्याय 5 में समावेशित विनियम 20 के उप–विनियम (1) के तृतीय परन्तुक और उप–विनियम (2) के चतुर्थ परन्तुक के अनुसार आयोग के अनुमोदन के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों की प्रचलित लागतों, कीमतों और अंशभागिता की कार्य–विधि के आधार पर देय होना संभावित है।

(h) यदि निकासी बिन्दु और इन्जेक्शन बिन्दु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में अवस्थित हैं तो आवेदक विस्तृत प्रक्रिया में उपबंधित किये गये अनुसार एस0टी0यू0 के साथ दीर्घावधि अभिगमन हेतु करार पर हस्ताक्षर करेगा। तथापि, यदि ओवदक वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली (चाहे निकासी बिन्दु या इन्जेक्शन बिन्दु वितरण प्रणाली पर है) के साथ संयोजित है तो आवेदक एस0टी0यू0 और वितरण अनुज्ञापी के साथ एक त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षरित करेगा। दीर्घावधि अभिगमन करार में दीर्घावधि अभिगमन के प्रारम्भ होने की तिथि, ग्रिड में ऊर्जा के इन्जेक्शन का बिन्दु और ग्रिड से निकासी का बिन्दु तथा डेडिकेटेड पारेषण/वितरण लाईनों का विवरण, यदि कोई आवश्यक है। यदि पारेषण/वितरण प्रणाली के संवर्धन की आवश्यकता है तो दीर्घावधि अभिगमन करार में आवेदक और पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की सुविधाओं के निर्माण हेतु समय सीमा, आवेदक द्वारा प्रदान करने के लिए आवश्यक बैंक गारंटी और विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अन्य विवरणों का समावेश होगा।

(i) दीर्घावधि अभिगमन प्रदान किये जाने के तुरन्त पश्चात् नोडल एजेन्सी, राज्य प्रेषण केन्द्र को सूचना देगी ताकि वह इन विनियमों के अधीन प्राप्त लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए निवेदन का प्रक्रमण करते समय इस पर विचार कर सके।

(j) दीर्घावधि अभिगमन की अवधि समाप्त होने पर, अपेक्षित विस्तार की अवधि का उल्लेख कर, ऐसी समाप्ति से कम से कम छः माह पूर्व लिखित निवेदन करने पर यह विस्तारित रहेगी। परन्तु यदि ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ग्राहक से कोई लिखित निवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उक्त दीर्घावधि अभिगमन उस तिथि पर समाप्त हो जायेगा जिस तक इसे प्रारम्भ में प्रदान किया गया था।

(3) **केवल वितरण प्रणाली को सम्मिलित करना**

ऐसे दीर्घावधि अभिगमन मामलों में जहां इन्जेक्शन का बिन्दु और निकासी का बिन्दु वितरण प्रणाली में अवस्थित है वहां नोडल एजेन्सी वितरण अनुज्ञापी होगा और ऊपर उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावष्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

14. **मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रक्रियाः**

(1) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित कर

यहां नीचे उप–विनियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी अन्तर्राज्यीय मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रक्रिया समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में संयोजन, दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि अभिगमन प्रदान करना और संबंधित मामले) अधिनियम, 2009 के अनुसार होगी।

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित किये बिना

यहां ऊपर उप–विनियम (1) के उपबन्धों के अधीन राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए राज्यान्तर्गत मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन यहां नीचे उप–विनियम (a) से (g) तक के उपबन्धों के अनुसार होगाः–

(a) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन में विस्तृत प्रक्रिया के अधीन नोडल एजेन्सी द्वारा नियत किये विवरणों का समावेश होगा, विशेष रूप से इसमें इन्जेक्शन का बिन्दु, ग्रिड से निकासी का बिन्दु और उस ऊर्जा की मात्रा जिसके लिये मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन किया गया है, सम्मिलित होंगे।

(b) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन की आरम्भ तिथि, उस माह जिस में आवेदन किया गया है, के अंतिम दिन से 5 माह पहले की और 1 वर्ष बाद की नहीं होगी।

(c) आवेदन प्राप्त होने पर, नोडल एजेन्सी, वितरण अनुज्ञापी के साथ परामर्श कर आवेदन का प्रक्रमण करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यहां नीचे विनियम 12 के उप–विनियम (3) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने या न करने का निर्णय यथा संभव शीघ्र और हर दशा में लिया जाये, आवश्यक प्रणाली अध्ययन करवायेगीः

परन्तु यदि नोडल एजेन्सी को परामर्श या समन्वय की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो वह उपयुक्त निर्देशों के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है।

(d) यह समाधान हो जाने पर कि विनियम 11 के उप–विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए मानदंड पूरे कर लिये गये हैं, नोडल एजेन्सी, आवेदक द्वारा मांगी गई अवधि के लिये मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करेगी।

परन्तु नोडल एजेन्सी कारण अभिलिखित कर आवेदक द्वारा मांगी गई अवधि से कम अवधि के लिये मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगन प्रदान कर सकेगी।

(e) यदि निकासी का बिन्दु और इन्जेक्शन का बिन्दु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में अवस्थित है तो आवेदक एस0टी0यू0 के साथ मध्यम अवधि उन्मुक्त हेतु, विस्तृत प्रक्रिया में उपबंधित किये गये अनुसार एक करार हस्ताक्षरित करेगा। तथापि, आवेदक वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित है (चाहे निकासी बिन्दु या इन्जेक्शन बिन्दु वितरण प्रणाली पर है) तो आवेदक एस0टी0यू0 और वितरण अनुज्ञापी के साथ एक त्रिपक्षीय करार कर हस्ताक्षर करेगा। मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन करार में मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन के आरम्भ और समाप्ति की तिथि, ग्रिड में ऊर्जा के इन्जेक्शन का बिन्दु तथा ग्रिड से निकासी का बिन्दु यदि अपेक्षित है तो डेडिकेटेड पारेषण/वितरण लाईनों का विवतरण, आवेदक द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी तथा विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अन्य विवरणों का समावेश होगा।

(f) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के तुरन्त पश्चात् नोडल एजेन्सी राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचना देगी ताकि वह इन विनियमों के अधीन प्राप्त लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु निवेदनों का प्रक्रमण करते समय इस पर विचार कर सके।

(g) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन की समाप्ति पर मध्यम अवधि ग्राहक, अवधि के नवीनीकरण हेतु किसी अध्यारोही प्राथमिकता का हकदार नहीं होगा।

(3) **केवल वितरण प्रणाली को सम्मिलित करना**

मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन के ऐसे मामलों में जहां इन्जेक्शन का बिन्दु और निकासी का बिन्दु वितरण प्रणाली में अवस्थित है वहां नोडल एजेन्सी वितरण अनुज्ञापी होगा और ऊपर उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

15. **लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन** हेतु प्रक्रिया

(1) **अन्तर्राज्यीय पारेषण** प्रणाली **को सम्मिलित कर**

यहां नीचे उप–विनियम (2) से (3) में किसी बात के होते हुए भी अन्तर्राज्यीय लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रक्रिया समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में उन्मुक्त अभिगमन) विनियम, 2008 के अनुसार होगी।

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित किये बिना

यहां ऊपर उप–विनियम (1) के उपबंधों के अधीन, राज्यान्तर्गत लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन, यहां नीचे खण्ड (a) से (g) के उपबंधों के अनुसार होगाः

(a) अग्रिम में उन्मुक्त अभिगमन

(i) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन चाहने के लिए आवेदन, जिस माह में आवेदन किया गया है उसे प्रथम माह मानते हुए चौथे माह तक नोडल एजेन्सी के पास जमा किया जा सकेगा।

परन्तु प्रत्येक माह और प्रत्येक लेन–देन के लिये पृथक आवेदन किया जायेगा।

(ii) नोडल एजेन्सी को आवेदन निर्धारित (प्रारूप एस0टी0–1) में होगा जिसमें आवश्यक क्षमता, नियोजित उत्पादन या संविदाकृत ऊर्जा क्रय, इन्जेक्शन का बिन्दु, निकासी का बिन्दु, **उन्मुक्त** अभिगमन के उपयोग की अवधि, पीक भार, औसत भार और अन्य ऐसे विवरण जो नोडल एजेन्सी द्वारा अपेक्षित हो, का विवरण होगा। आवेदन के साथ नकद में या नोडल एजेन्सी द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या सम्मिलित नोडल एजेन्सी को स्वीकार्य किसी अन्य माध्यम द्वारा अप्रतिदेय आवेदन शुल्क संलग्न किया जायेगा।

(iii) किसी माह में प्रारम्भ होने वाले उन्मुक्त अभिगमन **को** प्रदान किये जाने के लिए आवेदन पूर्ववर्ती माह के 15वें दिन तक "अग्रिम में लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन" चिन्हित कवर में जमा किया जा सकेगा।

उदाहरण के लिये, जुलाई माह में प्रारम्भ होने वाले उन्मुक्त अभिगमन के प्रदान किये जाने के लिये आवेदन 15 जून तक प्राप्त किये जायेंगे।

(iv) नोडल एजेन्सी "पावती स्वीकृति" पर समय और तिथि इंगित कर आवेदन की प्राप्ति अभिस्वीकृत करेगी।

(v) उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग करने के लिये आशयित वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता अपने आवेदन की एक प्रति वितरण अनुज्ञापी को प्रस्तुत करेगा।

(vi) संव्यवहार के प्रकार के आधार पर नोडल एजेन्सी यहां नीचे उपबंधित तरीके से लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदनों पर निर्णय लेगी।

(vii) ऊपर उप–खण्ड (iii) के प्राप्त सभी आवेदन एक साथ विचार हेतु लिये जायेंगे और इन विनियमों के विनियम 18 के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्विकता मानदंड के अनुसार उनका प्रक्रमण किया जायेगा।

(viii) नोडल एजेन्सी संव्यवहार में संलग्न पारेषण और वितरण के किसी अवयव (लाईन और ट्रांसफार्मर) की संकुलता हेतु संव्यवहार की जांच करेगी।

(ix) नोडल एजेन्सी ग्राहक को भुगतान की अनुसूची के साथ प्रारूप (प्रारूप–एस0टी0 2) में उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने या अन्यथा को ऐसी पूर्ववर्ती माह के अधिकतम 19 वें दिन तक संप्रेषित करेगी।

(x) यदि उप–खण्ड (ix) के अधीन उन्मुक्त अभिगमन अस्वीकृत किया जाता है तो नोडल एजेन्सी विशिष्ट कारण प्रदान करेगी।

(b) अग्रिम में उन्मुक्त अभिगमन हेतु बोली प्रक्रिया –

(i) यदि आगामी माह हेतु अग्रिम में उन्मुक्त अभिगमन हेतु ग्राहकों द्वारा मांगी गई क्षमता उपलब्ध क्षमता से अधिक है या एस0एल0डी0सी0, संव्यवहार में संलग्न पारेषण और वितरण प्रणाली की कोई संकुलता समझती है तो आबंटन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) संभावित संकुलता के संबंध में एल0एल0डी0सी0 का निर्णय अंतिम और बन्धकारी होगा।

(iii) एल0एल0डी0सी0 आवेदक को प्रारूप (प्रारूप एस0टी0–3) में निम्नतम मूल्य इंगित करते हुए संकुलता और बोली आमंत्रण हेतु निर्णय की सूचना प्रदान करेगी।

(iv) एल0एल0डी0सी0 अपनी वेबसाईट पर भी बोली की जानकारी प्रदर्शित करेगी।

(v) आयोग के सुसंगत आदेश के आधार पर अवधारित पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का निम्नतम मूल्य प्रारूप–एस0टी0–3 में इंगित किया जायेगा।

(vi) बोली आमंत्रण प्रारूप–एस0टी0–3 में दिये गये "बोली समाप्ति समय" तक प्रारूप (प्रारूप–एस0टी0–4) में स्वीकार किये जायेंगे।

(vii) एक बार जमा कर दिये जाने के पश्चात् बोली में किसी आशोधन/संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(viii) एल0एल0डी0सी0, बोलियां जमा करने के लिये समय/तिथि के विस्तार हेतु किसी निवेदन पर विचार नहीं करेगा।

(ix) बोलीदाता उस अंकित मूल्य जिस पर निम्नतम मूल्य अवधारित किया गया है पर मूल्य (पूर्णांकित) कोट करेंगे।

(x) कोट किये गये मूल्य अवरोही क्रम में रखे जायेंगे और उपलब्ध क्षमताओं का आबंटन उपलब्ध क्षमता के समाप्त हो जाने तक ऐसे अवरोही क्रम में रखा जायेगा।

(xi) दो या इससे अधिक ग्राहकों द्वारा एक समान मूल्य कोट किये जाने पर ऊपर उप–खण्ड (ix) के अधीन किसी अवशिष्ट उपलब्ध क्षमता से आबंटन ऐसे ग्राहक द्वारा चाही जा रही क्षमता के अनुपात में किया जायेगा।

(xii) ऐसे सभी ग्राहक जिनके पक्ष में पूर्ण क्षमता आबंटित की गई है, बोली से प्राप्त उच्चतम मूल्य का भुगतान करेंगे।

(xiii) वे ग्राहक जिन्हें कम क्षमता आबंटित की गई है, उनके द्वारा कोट किये गये मूल्य का भुगतान करेंगे।

(xiv) एस0एल0डी0सी0 उन बोलियों को अस्वीकार करेगी जो अपूर्ण है, अस्पष्ट हैं या बोली प्रक्रिया की पुष्टिकारक नहीं है।

(xv) सफल बोलीदाता, जिसके पक्ष में क्षमताएं आबंटित की गई हैं, इस खण्ड के उप–खण्ड (xii) या (xiii)के अधीन बोली द्वारा अवधारित, यथास्थिति, पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार का भुगतान करेगा।

(c) आगामी दिवस उन्मुक्त अभिगमन

(i) आगामी दिवस उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए आवेदन नोडल एजेन्सी द्वारा, अनुसूचीकरण की तिथि से पूर्व तीन दिन के भीतर किंतु आगामी संव्यवहार हेतु अनुसूचीकरण के ठीक पहले दिन के 1300 बजे से पहले तक प्राप्त किया जोयगा।

(ii) उदाहरण के लिए जुलाई के 25वें दिन पर आगामी संव्यवहार हेतु आवेदन उस माह में 22वें दिन या 23वें दिन या 24वें दिन 1300 बजे तक प्राप्त किया जायेगा।

(iii) नोडल एजेन्सी संकुलता हेतु जांच करेगा और ऊपर खण्ड (a)के उप–खण्ड (ix) में उपबंधित किये गये अनुसार प्रारूप (प्रारूप एस0टी0–2) में अनुमोदन प्रदान करने अथवा अन्यथा हेतु सूचना प्रदान करेगी। अन्य सभी लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन के उपबंध लागू होंगे।

(d) आकस्मिकता में समय–निर्धारण के सौदे हेतु प्रक्रिया

आकस्मिकता के समय एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, पिछले दिन के 13:00 बजे की कट ऑफ सीमा के पश्चात् भी लघु—अवधि आकस्मिकता आवश्यकता पूरी करने के लिये ऊर्जा का स्रोत खोज सकता है तथा उन्मुक्त अभिगमन और अनुसूचीकरण हेतु नोडल एजेन्सी को आवेदन कर सकता है तथा ऐसी दशा में, नोडल एजेन्सी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार यथा शीघ्र और व्यवहार्य सीमा तक ऐसे निवेदन को पूरा करने का प्रयास करेगी।

(e) एक लघु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा अनुमोदित क्षमता किसी अन्य को हस्तांतरणीय नहीं है।

(f) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुमोदित क्षमता के अभ्यर्पण, उस में कमी या उसके रद्द होने के परिणाम स्वरूप उपलब्ध क्षमता को इन विनियमों के अनुसार किसी अन्य लघु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के लिये आरक्षित किया जा सकता है।

(g) लघु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन की अवधि के समाप्त होने पर लघु--अवधि ग्राहक, अवधि की नवीनीकरण हेतु किसी अध्यारोही पूर्विकता का हकदार नहीं होगा।

(3) केवल वितरण प्रणाली को सम्मिलित करना

लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के ऐसे मामलों में जहां इन्जेक्शन का बिन्दु और निकासी का निकासी बिन्दु वितरण प्रणाली में अवस्थित है, वहां नोडल एजेन्सी वितरण अनुज्ञापी होगा और ऊपर उप—विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

16. **उन्मुक्त अभिगमन हेतु एस0टी0यू0/एस0एल0डी0सी0 द्वारा सहमति**

(1) **अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए**

दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के मामले में एस0टी0यू0 और लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के मामले में एस0एल0डी0सी0 क्रमशः समय—समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तगर्राज्यीय पारेषण में संयोजन दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करना तथा संबंधित मामले) अधिनियम, 2009 और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में उन्मुक्त अभिगमन) विनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार सहमति अथवा अन्यथा, सूचित करेंगे।

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित किये बिना

(a) राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु सहमति मांगने के आवेदन का प्रक्रमण करते समय नोडल एजेन्सी निम्नलिखित का सत्यापन करेगी, अर्थात :

(i) प्रवृत्त राज्य ग्रिड संहिता के उपबन्धों के अनुसार टाईम—ब्लॉक वाईज ऊर्जा की मीटरिंग के लिये आवश्यक अवसंरचना की विद्यमानता।

(ii) पारेषण और/या वितरण नेटवर्क में क्षमता की उपलब्धता।

(iii) एस0एल0डी0सी0 को रियल टाईम डाटा पारेषित करने के लिये आर0टी0यू0 और संसूचना सुविधा की उपलब्धता।

(b) जहां पारेषण और/या वितरण नेटवर्क में आवश्यक अवसंरचना और क्षमता की उपलब्धता की विद्यमानता स्थापित कर ली गई है, वहां नोडल एजेन्सी, दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम और लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु विनियम 12 की सारिणी में विनिर्दिष्ट अवधियों के भीतर ई—मेल या फैक्स या संसूचना में किसी अन्य सामान्यतया मान्य माध्यम द्वारा अपनी सहमति की सूचना देगी।

(c) यदि नोडल एजेन्सी द्वारा यह पाया जाता है कि सहमति हेतु आवेदन किसी संबंध में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है तो वह लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन प्राप्त होने के दो (2) कार्य दिवसों और दीर्घावधि अभिगमन तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु सात (7) कार्य दिवसों के भीतर ई—मेल या फैक्स या किसी अन्य सामान्यतया मान्य संसूचना के माध्यम द्वारा आवेदक को उस कमी या त्रुटि की सूचना देगी।

(d) यदि आवेदन व्यवस्थित पाया जाता है किन्तु नोडल एजेन्सी आवश्यक अवसंरचना न होने और पारेषण/वितरण नेटवर्क में अधिशेष क्षमता की अनुपलब्धता के आधार पर सहमति प्रदान करने से इन्कार करती है तो इस इन्कार को इसके कारणों के साथ दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम और लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु विनियम 12 की सारिणी में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर आवेदक को ई—मेल या फैक्स या संसूचना के किसी अन्य सामान्यतया मान्य माध्यमों द्वारा संसूचित किया जयेगा।

(e) जहां नोडल एजेन्सी ने आवेदन में कोई कमी या त्रुटि लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन प्राप्ति से दो (2) कार्य दिवसों के भीतर और दीर्घावधि अभिगमन व मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु सात (7) कार्य दिवसों के भीतर इन्कार या सहमति संसूचित नहीं की है वहां सहमति प्रदान कर दी गई मानी जायेगी।

(3) केवल वितरण प्रणाली को संलग्न करना :

ऊपर उप—विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तन सहित, राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के लिए सहमति चाह रहे आवेदक पर लागू होगी जब इन्जेक्शन का बिन्दु और निकासी का बिन्दु एक ही वितरण प्रणाली में अवस्थित हो।

17. व्यतिक्रमियों से आवेदनों का विचार

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी नोडल एजेन्सी इन विनियमों के उपबन्धों, विशिष्ट रूप से इसमें उदग्रहणीय प्रभारों के समय पर भुगतान से संबंधित उपबंधों के अनानुपालन के आधार पर उन्मुक्त अभिगमन हेतु एक आवेदन पूरी तरह अस्वीकार करने के लिये स्वतन्त्र होगी।

18. आबंटन प्राथमिकता

(1) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन के आबंटन हेतु प्राथमिकता निम्नलिखित मानदण्डों पर निर्धारित की जायेगी।

(a) वितरण अनुज्ञापी को, बिना इस बात का विचार किये कि उन्मुक्त अभिगमन निवेदन दीर्घावधि, मध्यम अवधि या लघु अवधि के लिये है, उन्मुक्त अभिगमन क्षमता के आबंटन में प्राथमिकता प्राप्त होगी।

(b) दीर्घावधि अभिगमन आवेदकों को वितरण अनुज्ञापी के पश्चात् अगली प्राथमिकता होगी।

(c) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदकों को दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदकों के पश्चात् अगली प्राथमिकता होगी।

(d) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदकों को मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के पश्चात् अगली प्राथमिकता होगी।

(e) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदकों के लिये आबंटन प्राथमिकता क्षमता की उपलब्धता के अधीन निर्धारित की जायेगी।

(f) एक वर्तमान उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को संबंधित श्रेणी के अधीन, नये उन्मुक्त अभिगमन आवेदक से ऊंची प्राथमिकता प्राप्त होगी बशर्ते कि पहले वाला आवेदक उन्मुक्त अभिगमन की वर्तमान अवधि की समाप्ति से तीस दिन पहले इसके नवीनीकरण हेतु आवेदन करे।

(g) ज़ब एक आवेदक द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकता उपलब्ध क्षमता से अधिक है और उक्त आवेदक उपलब्ध क्षमता तक अपनी आवश्यकता को सीमित करने में समर्थ नहीं है, तो इस से निचली प्राथमिकता वाले आवेदक के निवेदन पर विचार किया जायेगा।

अध्याय –5

उन्मुक्त अभिगमन प्रभार

19. अन्तः स्थापित ओ0ए0 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में निकासी बिन्दु पर ऊर्जा की व्यवस्था

(1) किसी 15 मिनट टाईम ब्लॉक के लिये अनुसूचित निकासी (मेगावॉट में) सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित पारेषण और वितरण हानियों का समायोजन करने के पश्चात् उस ब्लॉक के लिये अनुमोदित क्षमता (मेगावॉट में) के आधार पर ज्ञात की जायेगी।

(2) ऊपर उप–विनियम (1) में ज्ञात अनुसूचित निकासी के आधार पर परिकलित वास्तविक रिकॉर्डेड ऊर्जा (kVAh में) और अनुसूचित ऊर्जा (kVAh में) का न्यूनतम, उन्मुक्त अभिगमन के अधीन निकासी की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में समझी जायेगी। उन्मुक्त अभिगमन के अधीन निकासी की गई ऊर्जा की ऐसी मात्रा को बिलिंग के प्रयोजन से डे ब्लॉक के प्रत्येक समय हेतु मीटर में रिकार्ड की गई ऊर्जा के मासिक उपभोग से समायोजित किया जायेगा।

20. पारेषण प्रभार एवं व्हीलिंग प्रभार

(1) पारेषण प्रभार

पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक नीचे दिये गये अनुसार प्रभारों का भुगतान करेंगे:

(a) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु समय–समय पर केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार

(b) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु – अपनी प्रणाली के उपयोग हेतु एस0टी0यू0 को एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभार नीचे दिये गये अनुसार अवधारित किये जायेंगे :

पारेषण प्रभार = $ATC/(PLS_T \times 365)$(Rs. /MW/ डे)

जहां,

ATC = सुसंगत वर्ष हेतु राज्य पारेषण प्रणाली हेतु आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक पारेषण प्रभार

PLS_T = पिछले वर्ष में राज्य पारेषण प्रणाली द्वारा सेवित पीक लोड

परन्तु पारेषण प्रभार अनुमोदित क्षमता के आधार पर देय होंगे।

परन्तु यह भी कि उन्मुक्त अभिगमन हेतु, दिन के एक भाग के लिये पारेषण प्रभार निम्न लिखित अनुसार उद्ग्रहित होंगे :

(i) दिन में 6 घंटे तक : ऊपर उप–विनियम (1)(b) में अवधारित पारेषण प्रभारों का 1/2

(ii) दिन में 6 घंटे से अधिक : ऊपर उप–विनियम (1)(b) में अवधारित पारेषण प्रभारों के बराबर

परन्तु आगे यह कि जहां पारेषण प्रणाली जिसमें उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपयोग की गई डेडीकेटेड पारेषण प्रणाली का निर्माण सम्मिलित है, का संवर्धन अनन्य रूप से उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के उपयोग हेतु या अनन्य रूप से उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा किया जा रहा है वहां डेडिकेटेड प्रणाली सहित ऐसे संवर्धन हेतु पारेषण प्रभार, अपनी प्रणाली हेतु एस0टी0यू0 द्वारा ज्ञात किये जायेंगे तथा उन्हें आयोग से अनुमोदित करवाया जायेगा और अन्य उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों हेतु अधिशेष क्षमता का आबंटन और उनके द्वारा उपयोग किये जाने तक ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा पूर्णरूप से वहन किये जायेंगे, इसके पश्चात् उपरोक्त प्रणाली की लागत उनको आबंटित उन्मुक्त अभिगमन क्षमता पर निर्भर करते हुए अनुपाततः रूप में शेयर की जायेगी।

(2) व्हीलिंग प्रभार

अपनी प्रणाली के उपयोगों हेतु एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभार निम्नलिखित रूप से अवधारित किये जायेंगे:

व्हीलिंग प्रभार = (ARR – PPC - TC) / (PLS_D x 365) (Rs. /MW/ डे)

जहां,

ARR = सुसंगत वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता

PPC = सुसंगत वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी की कुल ऊर्जा क्रय लागत

TC = सुसंगत वर्ष हेतु राज्य और अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिये वितरण अनुज्ञापी द्वारा भुगतान किये गये कुल पारेषण प्रभार

PLS_D = पिछले वर्ष के लिये संबंधित वितरण प्रणाली द्वारा सेवित कुल पीक लोड

परन्तु अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान निम्नलिखित तरीके से करेगा :

WC अन्तः स्थापित उपभोक्ता = WC [WC*0.85*12*1000/365] (Rs. /MW/ डे)

जहां,

WC अन्तः स्थापित उपभोक्ता = अन्तःस्थापित उपभोक्ताओं के लिये शुद्ध व्हीलिंग प्रभार

WC = इन विनियमों के अध्याय 5 में समावेशित विनियम 20 (2) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग प्रभार

FC = सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में अनुमोदित दर अनुसूची के अनुसार रू0/किलोवॉट एम्पीयर/माह में स्थिर मांग प्रभार, kVA के KW में परिवर्तन के प्रयोजन से 0.85 का ऊर्जा कारक लिया गया है।

नोट : यदि ऊपर ज्ञात किये गये अन्तः स्थापित उपभोक्ता हेतु व्हीलिंग प्रभार नकारात्मक हो जाते हैं तो ऐसे प्रभार शून्य होंगे।

परन्तु व्हीलिंग प्रभार अनुमोदित क्षमता के आधार पर देय होंगे।

परन्तु उन्मुक्त अभिगमन हेतु, दिन के एक भाग के लिए व्हीलिंग प्रभार निम्न लिखित अनुसार उदग्रहित किये जायेंगे :

(i) दिन में 6 घंटे तक : ऊपर उप–विनियम (2) में अवधारित लागू व्हीलिंग प्रभार का 1/2।

(ii) दिन में 6 घंटे से अधिक : ऊपर उप–विनियम (2) में अवधारित लागू व्हीलिंग प्रभार के बराबर।

परन्तु आगे यह कि जहां एक उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपयोग की जाने वाली डेडीकेटेड वितरण प्रणाली एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के अनन्य उपयोग हेतु निर्मित की गई है वहां ऐसी डेडिकेटेड प्रणाली हेतु व्हीलिंग प्रभार, अपनी संबंधित प्रणाली हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा ज्ञात किये जायेंगे और उन्हें आयोग से अनुमोदित करवाया जायेगा तथा उन्हें अन्य अन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिये अधिशेष क्षमता का आबंटन और उनके द्वारा पूर्ण रूप से वहन किये जायेंगे, इसके पश्चात् उपरोक्त

प्रणाली की लागत का, उनको आबंटित उन्मुक्त अभिगमन क्षमता पर निर्भर करते हुए अनुपाततः रूप में शेयर किया जायेगा।

परन्तु आगे यह कि 132 किलोवॉट और इससे ऊपर के वोल्टेज स्तरों पर पारेषण प्रणाली से संयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता पर व्हीलिंग प्रभार नहीं लगाये जायेंगे।

21. एस.एल.डी.सी. और प्रणाली प्रचालन प्रभार

एस.एल.डी.सी. और प्रणाली प्रचालन प्रभार उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा निम्नलिखित दरों पर देय होगी:

(1) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संलग्न संव्यवहार

(a) दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) अधिनियम की धारा 28(4) के अधीन केन्द्रीय अयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय भारप्रेषण केन्द्र फीस और प्रभार जिसमें एकीकृत भार प्रेषण और संसूचना योजना हेतु प्रभार सम्मिलित है।

(ii) अधिनियम की धारा 32 की उप—धारा (3) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार

(b) लद्यु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन

केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रणाली प्रचालन प्रभार

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को संलग्न न करते हुए संव्यवहार

(a) दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक अधिनियम की धारा 32 की उप—धारा (3) के अधीन आयोग द्वारा अवधारित एस.एल.डी.सी. प्रभारों का भुगतान करने के लिए दायी होगें।

(b) लद्यु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन

समय—समय पर आयोग द्वारा अवधारित ज्ञाप में प्रत्येक संव्यवहार हेतु एक लद्यु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा एस.एल.डी.सी. को प्रणाली प्रभार प्रतिदिन या उस से भाग हेतु देय होगा।

(**स्पष्टीकरण** : प्रणाली प्रचालन प्रभार के अनुसूंचीकरण और प्रणाली प्रचालन, ऊर्जा लेखाकरण हेतु फीस, सद्भावी आधार पर अनुसूची में संशोधन लाने के लिए फीस और प्रभारों का संचयन व संवितरण सम्मिलित है)

22. प्रति—सहायिकी अधिभार

(1) अन्तःसंयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, पारेषण और/या व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त आयोग द्वारा अवधारित प्रति सहायिकी अधिभार का भुगतान करेंगे। प्रति यूनिट आधार पर अवधारित प्रति सहायिकी अधिभार, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा माह के दौरान निकासी की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर ऐसे उपभोक्ता द्वारा प्रति माह देय होगा। अधिभार की राशि का भुगतान वितरण अनुज्ञापी को दिया जायेगा।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गई पावर—कट की अवधि में, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा, ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा निकासी की गई ऊर्जा पर कोई प्रति—सहायिकी अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

आगे यह भी कि यह अधिभार दीर्घावधि/मध्यम—अवधि किसी ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक और व्यक्ति पर नहीं लगाया जायेगा जिसने अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो।

परन्तु यह भी कि यदि उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की स्थिति या भार में कोई अधिक परिवर्तन आता है तो आयोग जैसे ही और जब आवश्यक हो प्रति सहायिकी अधिभार की समीक्षा कर सकता है।

(2) ऐसे लद्यु–अवधि उन्युक्त अभिगयन उपभोक्ताओं के लिये प्रति सहायिकी अधिभार निम्नलिखित के अनुसार अवधारित किये जायेंगें।

अधिभार फॉर्मूला :

एस = टी – सी

जहां,

एस – प्रतिसहायिकी अधिभार है

टी – ऐसे उपभोक्ताओं की सुसंगत श्रेणी द्वारा देय खुदरा शुल्क है

सी – वितरण अनुज्ञापी की आपूर्ति की औसत लागत है।

23. अतिरिक्त अधिभार

(1) अपने आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने वाला एक उपभोक्ता वितरण, अनुज्ञापी को अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (4) के अधीन उपबंधित आपूर्ति अपने दायित्व से उत्पन्न ऐसे वितरण अनुज्ञापी की स्थिर लागत को पूरा करने के लिए व्हीलिंग प्रभार और प्रतिसहायिकी अधिभार के अतिरिक्त व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करेगा।

(2) यह अतिरिक्त अधिभार केवल तभी लागू होगा जब ऊर्जा क्रय दायित्व के संबंध में अनुज्ञापी का दयित्व अटका हुआ है और अटके रहना जारी है या ऐसी संविदा के परिणाम स्वरूप स्थिर लागतें वहन करने के एक अपरिहार्य दायित्व और भार है। तथापि, नेटवर्क आस्तियों से संबंधित स्थिर लागतें व्हीलिंग प्रभारों के माध्यम से वसूल की जायेंगी।

(3) वितरण अनुज्ञापी प्रति छः माह के आधार पर आयोग के पास स्थिर लागत का विस्तृत परिकलन विवरण जमा करेगा जो कि आपूर्ति से अपने दायित्व हेतु अनुज्ञापी वहन कर रहा है।

आयोग, वितरण अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये स्थिर लागत के परिकलन के विवरण की समीक्षा करेगा और आपत्तियां यदि कोई है, प्राप्त करेगा तथा अतिरिक्त अधिभार की राशि अवधारित करेगा।

परन्तु आयोग द्वारा इस प्रकार अवधारित किया गया अतिरिक्त प्रभार सभी उन्मुक्त उपभोक्ताओं पर भावी आधार पर लागू होगा।

(4) प्रति यूनिट आधार पर अवधारित अतिरिक्त अधिभार, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा माह के दौरान निकासी की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं द्वारा मासिक आधार पर देय होगा।

परन्तु यह अतिरिक्त भार ऐसे मामलों में नहीं लगाया जायेगा जहां वितरण अभिगमन ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने अपने स्वंय के उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

24. वितरण अनुज्ञापी से उन्मुक्त अभिगमन द्वारा ऊर्जा की निकासी हेतु स्टैंड–बाय प्रभार

(1) उत्पादक के आउटेजेज के ऐसे मामलों में जहां उन्मुक्त अभिगमन के अधीन ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है जो अनुज्ञापी का उपभोक्ता नहीं है वहां अनुज्ञापी के

उपभोक्ताओं पर लागू लोड शैडिंग के अधीन वितरण अनुज्ञापी द्वारा स्टैंड व्यवस्था प्रदान की जायेगी और अनुज्ञापी प्रचलित दर अनुसूची में उपभोक्ता की उस श्रेणी हेतु प्रभार की अस्थायी दर के अधीन शुल्क एकत्रित करने के लिये हकदार होगा।

परन्तु, यदि ऐसा ग्राहक वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता है तो अनुज्ञापी, प्रचलित दर अनुसूची के उपभोक्ता की उस श्रेणी हेतु प्रभार की दर के अधीन शुल्क एकत्रित करने के लिए हकदार होगा।

परन्तु आगे यह कि यदि उन्मुक्त अभिगमन द्वारा ऊर्जा इंजेक्ट करने वाली वितरण प्रणाली से संयोजित एवं उत्पादक को स्टार्टअप ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऐसी ऊर्जा की दर वही होगी जो कि इन विनियमों के विनियम 6 (8) में उपबंधित अशक्त ऊर्जा की है।

परन्तु यह भी कि एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के पास किसी स्रोत से स्टैंड बाय ऊर्जा की व्यवस्था करने का विकल्प रहेगा।

25. अन्य प्रभार

संकुलन प्रभार और कोई अन्य प्रभार, जब कभी केन्द्रीय आयोग और/या राज्य आयोग द्वारा लगाये जायें, सभी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहको द्वारा देय होंगे।

अध्याय — 6

अनुसूचीकरण, मीटरिंग, पुनरीक्षण और हानियां

26. अनुसूचीकरण

(1) इन विनियमों के उत्तरवर्ती उप—विनियम में समावेशित किसी बात के होते हुए भी अन्तर्राज्यीय उन्मुक्त अभिगमन संव्यवहार का अनुसूचीकरण केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार होगा।

(2) पूर्वगामी खण्ड के अधीन, क्षमता का विचार किये बिना सभी ग्राहकों और उत्पादक स्टेशनों के संबंध में राज्यन्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन संव्यवहार, राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधो के अनुसार एस.एल.डी.सी. द्वारा अनुसूचित किये जायेंगे।

27. मीटरिंग

(1) सभी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों, वर्तमान और नये जिनमें उत्पादक स्टेशन्स भी सम्मिलित है, को उनकी क्षमता का विचार बिना उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की लागत पर उनके लिये वितरण अनुज्ञापी द्वारा ए0बी0टी0 अनुकूल विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(2) वितरण अनुज्ञापी अपनी स्वयं की लागत पर मेन मीटर के ही विनिर्देशों वाले चैक मीटर उपलब्ध करवायेगा।

परन्तु मेन और चैक ए0बी0टी0 अनुकूल मीटर, लागू रूप में वितरण/पारेषण अनुज्ञापी द्वारा अधिसूचित आपूर्तिकर्ताओं से भी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा प्राप्त किये जा सकते है, तथापि, चैक मीटर की लागत, ग्राहकों के उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों में समायोजन द्वारा वापस की जायेगी।

परन्तु उन्मुक्त अभिगमन, वर्तमान मीटरिंग व्यवस्था पर इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से तीन

माह की अवधि तक अनुमन्य रहेगा। उसके पश्चात ए0बी0टी0 अनुकूल मेन और चैक मीटर्स से संबंधित उपरोक्त उपबंध आज्ञापरक हो जायेंगे।

(3) संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटर, राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार समय–ब्लॉक–वार सक्रिय ऊर्जा हेतु समय–भिन्निता माप और रिएक्टिव ऊर्जा के वोल्टेज भिन्निता माप के योग्य होंगे।

(4) विशेष ऊर्जा मीटर्स सदैव अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखे जायेंगे।

(5) विशेष ऊर्जा मीटर्स, एस0टी0यू0/वितरण अनुज्ञापी/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे।

(6) सभी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक सी0ई0ए0 के मीटरिंग मानकों के पाबन्द रहेंगे।

28. पुनरीक्षण :

अनुसूचित ऊर्जा का पुनरीक्षण, यथास्थिति, राज्य के आई0ई0जी0सी0 या राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार अनुमन्य होगा।

29. हानियाँ :

(1) पारेषण **हानियां :** प्रणाली पारेषण हानियां सभी उन्मुक्त ग्राहकों द्वारा वस्तु के रूप में देय होंगी।

(a) अन्तर्राज्यीय पारेषण

(i) दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन क्रेता, केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिश्ट विनियमों के उपबन्धों के अनुसार पारेषण प्रणाली में प्रभाजित ऊर्जा हानियों को वहन करेंगे।

(ii) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन

क्रेता और विक्रेता केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के उपबन्धों के अनुसार पारेषण प्रणाली में प्रभाजित ऊर्जा हानियों को वहन करेंगे।

(b) राज्यान्तर्गत पारेषण

(i) सुसंगत वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित राज्यान्तर्गत प्रणाली हेतु पारेषण हानियाँ उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा वस्तु के रूप में देय होंगी।

(2) **वितरण हानियाँ :** सुसंगत वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित प्रणाली वितरण हानियां, उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा वस्तु रूपमें देय होंगी।

अध्याय–7

असंतुलन और रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार

30. असंतुलन प्रभार :

(1) दीर्घावधि अभिगमन या मध्यम अवधि अभिगमन या लघुअवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के अनुसरण में सभी संव्यवहार, अन्तर्राज्यीय संव्यवहार हेतु आई0ई0जी0सी0 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार और राज्यान्तर्गत संव्यवहार हेतु राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार आगामी दिन आधार पर किये जायेंगे।

(2) वास्तविक रिकॉर्डेड ऊर्जा और अनुसूचित ऊर्जा प्रत्येक 15 मिनट के टाईम ब्लॉक हेतु रिकार्ड/एकाउन्टेड की जायेगी। इन दोनों के मध्य किसी अंतर के मामले में निम्न लिखित लागू होगाः

(a) जब उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता नहीं है:

(i) ऐसे उपभोक्ता द्वारा अति निकासी करने पर

वितरण अनुज्ञापी को ऐसे उपभोक्ता द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित एच0टी0 उद्योग उपभोक्ताओं की औसत बिलिंग दर के समकक्ष होंगे।

(ii) वितरण प्रणाली और/या पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण उपभोक्ता द्वारा कम निकासी किये जाने पर

ऐसे उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष के शुल्क आदेश में प्रक्षेपित वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत के बराबर होंगे।

(b) जब उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता है :

(i) संविदाकृत भार के भीतर अधिकतम मांग के अधीन अति निकासी होने पर

वितरण अनुज्ञापी को ऐसे उपभोक्ता द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष के शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित लागू शुल्क दरों के बराबर होंगे।

(ii) संविदाकृत भार से अधिक अधिकतम मांग के अधीन अति निकासी होने पर।

वितरण अनुज्ञापी को ऐसे उपभोक्ता द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में उपभोक्ताओं की ऐसी श्रेणियों के लिये, आयोग द्वारा अनुमोदित अधिक मांग प्रभारों के साथ, लागू शुल्क दरों के बराबर होंगे।

(iii) वितरण प्रणाली और/या राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण कम निकासी होने पर

यदि वितरण प्रणाली और/या राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण कम निकासी हुई है तो ऐसे उपभोक्ताओं की, सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में प्रक्षेपित रूप में वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत पर वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(इस विनियम के प्रयोजन से वास्तविक रिकॉर्डेड ऊर्जा और अनुसूचित ऊर्जा का **वही अर्थ होगा जैसा कि ऊपर विनियम 19 (2) में है।)**

(c) जब उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक एक उत्पादक है

(i) उत्पादक पर उपारोपित कारणों से उत्पादक द्वारा कम इन्जेक्शन किये जाने पर ।

वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में प्रक्षेपित रूप में **वितरण** अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत पर प्रभारित किये जायेंगे।

(ii) वितरण प्रणाली और/या राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण उत्पादक द्वारा कम इन्जेक्शन किये जाने पर

उत्पादक को वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में प्रक्षेपित रूप में वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत पर प्रभारित किये जायेंगे।

(iii) उत्पादक द्वारा अधिक इन्जेक्शन किये जाने पर

उत्पादक को वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में प्रक्षेपित रूप में वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत पर प्रभारित किये जायेंगे।

परन्तु अपरिहार्य घटनाओं के कारण वितरण प्रणाली और/या पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता होने पर वितरण अनुज्ञापी, इस उप–विनियम (2) के खण्ड ए–(ii), बी–(iii) एवं सी–(ii) में विनिर्दिष्ट उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों को किन्हीं असंतुलन प्रभारों के भुगतान का दायी नहीं होगा।

परन्तु आगे यह कि इस उप–विनियम (2) में उपरोक्त असंतुलन प्रभार एवं अंतरिम व्यवस्था है और यह व्यवस्था राज्य में राज्यान्तर्गत ए0बी0टी0 तंत्र के प्रचालित रहने तक लागू रहेगी, उसके पश्चात् असंतुलन/अनानुसूचित विनिमय राज्य ऊर्जा एकाउण्ट, जिसमें आयोग द्वारा जारी किये जाने पर संबंधित मामले और राज्य यू0आई0 प्रभारों के संबंध में आयोग के आदेशों के अनुसार एस0एल0डी0सी0 द्वारा जारी राज्य अनानुसूचित वितनमय (यू0आई0) प्रभार का विवरण सम्मिलित है, के आधार पर तय किया जायेगा।

(3) पारेषण/वितरण प्रणाली की अनुपलब्धता हेतु कारण सुनिश्चित करने और उन पर जिम्मेदारी तय करने के लिये एस0एल0डी0सी0 नोडल एजेन्सी होगी।

(4) असंतुलन प्रभारों के भुगतान को एक उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और संबंधित घटक (यथास्थिति अनुज्ञापियों या उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों सहित) एस0एल0डी0सी0 द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित राज्य पूल एकॉउण्ट में, विवरण जारी किये के 10 (दस) दिन के भीतर, इंगित की गयी राशि का भुगतान करेंगे। उस व्यक्ति को, जिसे असंतुलन प्रभारों के लिये राशि प्राप्त करनी है, को तब तीन (3) कार्य दिवस के भीतर, पूल एकाउण्ट से भुगतान किया जयेगा।

(5) यदि उपरोक्त असंतुलन प्रभारों के विरूद्ध भुगतान दो दिन से अधिक, अर्थात विवरण जारी किये जाने की तिथि से बारह (12) दिन से अधिक विलंबित होता है तो पक्ष को विलंब हेतु प्रत्येक दिन के लिये 0.04% की दर से साधारण व्याज का भुगतान करना होगा इस प्रकार एकत्रित व्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा जिस को वह राशि प्राप्त करनी है जिस के भुगतान में विलम्ब हुआ है। बार–बार भुगतान में व्यतिक्रम, यदि कोई है, तो उपचारी कार्यवाई प्रारम्भ करने के लिये एस0एल0डी0सी0 द्वारा उसे आयोग को रिपोर्ट किया जायेगा।

31. रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार

उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक (अन्तःसंयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं को छोड़ कर) के संबंध में ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का भुगतान, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आई0ई0जी0सी0) और राज्य ग्रिड संहिता में नियत किये गये उपबंधों के अनुसार होगा।

परन्तु आगे यह कि राज्य में ए0बी0टी0 तंत्र के प्रचालित होने के पश्चात् रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, आयोग के आदेशों के अनुसार एस0एल0डी0सी0 द्वारा जारी राज्य रिएक्टिव ऊर्जा एकाउण्ट के आधार पर तय किये जायेंगे।

अध्याय –8

वाणिज्यिक मामले

32. बिलिंग, संग्रहण और संवितरण

इन विनियमों के अधीन देय प्रभारों के संबंध में बिलिंग निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी:

(1) अन्तर्राज्यीय संव्यवहार

(a) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन के लिये आर0एल0डी0सी0 और एस0एल0डी0सी0 को देय सी0टी0यू0 और एस0टी0यू0 प्रणालियों के उपयोग हेतु पारेषण प्रभारों तथा प्रचालन प्रभारों का संग्रहण और संवितरण, केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नोडल आर0एल0डी0सी0 द्वारा किया जायेगा तथा उसके पश्चात् यह संबंधित राशि सी0टी0यू0, एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 को संवितरित करेगा।

(ii) वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक ऐसे वितरण अनुज्ञापी को, नोडल एजेन्सी द्वारा लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने से 3 दिन के भीतर वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा।

(b) दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) सी0टी0यू0 और आर0एल0डी0सी0 देय फीस और प्रभार जिसमें एकीकृत भार प्रेषण और संसूचना योजना हेतु प्रभार जिसमें एकीकृत भार प्रेषण और संसूचना योजना हेतु प्रभार सम्मिलित हैं, केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होंगे।

(ii) एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 को देय प्रभारों के बिल सीधे एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 द्वारा एस0टी0यू0 से संयोजित उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को अगले कैलेंडर माह के तीसरे कार्य दिवस से पहले जारी किये जायेंगे। ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, बिलों की प्राप्ति से 5 कार्य दिवसों के भीतर एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 के बिलों का भुगतान करेंगे।

परन्तु यदि ऐसा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक वितरण प्रणाली से संयोजित है तो ऐसे बिल अगले कैलेंडर माह के तीसरे कार्य दिवस से पहले वितरण अनुज्ञापी को एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 द्वारा जारी किये जायेंगे। वितरण अनुज्ञापी एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 से बिल की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर उससे जुड़े उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को बिल जारी करेगा। उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक वितरण अनुज्ञापी से बिल की प्राप्ति से पांच दिनों के भीतर प्रभारों का भुगतान करेगा। तत्पश्चात् वितरण अनुज्ञापी मासिक आधार पर एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 को देय राशि का संवितरण करेगा।

(2) राज्यान्तर्गत संव्यवहार

(a) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक एस0एल0डी0सी0 द्वारा लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने से 3 कार्यदिवसों के भीतर पारेषण प्रभार और प्रचालन प्रभार एस0एल0डी0सी0 के पास जमा करेगा।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक एस0एल0डी0सी0 को, नोडल एजेन्सी द्वारा लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने से 3 दिन के भीतर वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान भी करेगा। ऐसे प्रभार, एस0एल0डी0सी0 द्वारा साप्ताहिक आधार पर वितरण अनुज्ञापी को संवितरित किये जायेंगे।

(b) दीर्घावधि और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) जहां लागू हो वहां एस0एल0डी0सी0, पारेषण अनुज्ञापी और वितरण अनुज्ञापी, एस0टी0यू0 को अगले कैलेंडर माह के तीसरे दिन तक उनको देय बिलों का विवरण संसूचित करेंगे। एस0टी0यू0 उपरोक्त प्रभारों को पृथक रूप से सूचित करेगी और उपरोक्त माह के 5वें दिन से पहले प्राप्ति योग्य प्रभार, यदि कोई है, के साथ उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को बिल जारी करेगी। उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता बिल की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के भीतर प्रभारों का भुगतान करेगा। एस0टी0यू0 द्वारा एस0एल0डी0सी0, पारेषण अनुज्ञापी और वितरण अनुज्ञापी को मासिक आधार पर संवितरण किया जायेगा।

33. विलंब भुगतान अधिभार

यदि इन विनियमों के अधीन देय प्रभारों, किसी का भुगतान, किसी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा देय तिथि से आगे विलंबित हो जाता है तो अधिनियम या उसके अधीन किसी विनियम के अधीन किसी कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1.25% प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार लगाया जायेगा।

34. भुगतान में व्यतिक्रम

इन विनियमों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा देय किसी प्रभार या धनराशि का अनानुपालन माना जायेगा। एस0टी0यू0 और/या वितरण अनुज्ञापी, वाद द्वारा ऐसे प्रभारों की वसूली के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ग्राहक को पन्द्रह दिन का अग्रिम नोटिस देने के पश्चात् उन्मुक्त अभिगमन बंद कर सकता है।

आर0एल0डी0सी0 और/या एस0एल0डी0सी0 को देय प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर संबंधित भार प्रेषण केन्द्र व्यतिक्रमी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक की ऊर्जा अनुसूचित करने से इन्कार कर सकता है और संबंधित अनुज्ञापी को ऐसे ग्राहक को ग्रिड से असंयोजित करने का निर्देश दे सकता है।

35. भुगतान सुरक्षा तंत्र

दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन के मामले में उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदक, ऐसे प्रभारों के संग्रहण हेतु उत्तरदायी एजेन्सी के पक्ष में दो माह की अवधि के लिये, लागू उन्मुक्त अभिगमन प्रभार की अनुमानित राशि के बराबर एक अशर्त, परिक्रामी और अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय पत्र (एल0/सी0) खोलेगा। यह एल0/सी0 देहरादून में एक अनुसूचित बैंक में खोली जायेगी।

अध्याय –9

सूचना प्रणाली

36. सूचना प्रणाली

राज्य भार प्रेषण केन्द्र "उन्मुक्त अभिगमन **सूचना**" शीर्षक के साथ एक पृथक वेब पेज में अपनी वेबसाईट पर निम्न लिखित **सूचना** पोस्ट करेगा और साथ ही ऐसी सूचना के साथ एक मासिक और वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगा।

(1) ग्राहक द्वारा दीर्घावधि/मध्यम अवधि/लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन पर प्रस्थिति रिपोर्ट, निम्नलिखित सूचित करते हुए :

(a) ग्राहक का नाम;

(b) प्रदान किये गये उन्मुक्त अभिगमन की अवधि (प्रारम्भ की तिथि और समाप्ति की तिथि);

(c) प्रत्येक दिवस हेतु वितरण अनुज्ञापी/यू0पी0सी0एल0 से ऊर्जा की अनुसूची (अन्तः संयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू)

(d) प्रत्येक दिवस हेतु उन्मुक्त अभिगमन अवधि द्वारा ऊर्जा की अनुसूची (अन्तः संयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू)

(e) इन्जेक्शन का बिन्दु;

(f) निकासी का बिन्दु;

(g) उपयोग की गई पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली, और

(h) उपयोग की गई उन्मुक्त अभिगमन क्षमता।

(2) पीक लोड प्रवाह और उपलब्ध क्षमता जिसमें ई0एच0वी0 उप–स्टेशनों से निकलने वाली सभी ई0एच0वी0 लाईनों और एच0वी0 लाईनों पर आरक्षित क्षमता सम्मिलित है।

(3) संबंधित अनुज्ञापियों द्वारा अवधारित रूप में पारेषण और वितरण प्रणाली में औसत हानि से संबंधित जानकारी।

अध्याय – 10

विविध

37. विस्तृत प्रक्रिया

एस0टी0यू0/वितरण अनुज्ञापी, इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रूप में विभिन्न कार्य–कलापों हेतु अपनी संबन्धित विस्तृत प्रक्रिया और समय सीमा नियत करेगा और उसे इन विनियमों की अधिसूचना से 3 माह के भीतर आयोग के अनुमोदन हेतु जमा करेगा।

38. राज्यान्तर्गत पारेषण और वितरण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन क्षमता का कम उपयोग या उपयोग न होना

(1) **दीर्घावधि अभिगमन :** दीर्घावधि उपभोक्ता, निम्न लिखित अनुसार, अटकी हुई क्षमता हेतु प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दीर्घावधि अभियन की पूर्ण अवधि के समाप्त होने से पहले पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दीर्घावधि अभिगमन त्याग सकता है:–

(a) दीर्घावधि ग्राहक जिसने कम से कम 12 वर्ष के लिये अभिगमन अधिकारों का उपयोग किया है।

(i) एक (1) वर्ष का नोटिस – यदि ऐसा ग्राहक उस तिथि, जिस से वह अभिगमन त्यागना चाहता है, से न्यूनतम 1 (एक) वर्ष पूर्व नोडल एजेन्सी के पास आवेदन करता है तो कोई प्रभार नहीं होंगे।

(ii) एक (1) वर्ष से कम का नोटिस – यदि ऐसा ग्राहक उस तिथि, जिस से वह अभिगमन त्यागना चाहता है, से पूर्व एक वर्ष से कम समय में नोडल एजेन्सी के पास आवेदन करता है तो ऐसा ग्राहक, एक (1) वर्ष की नोटिस अवधि से कम पड़ने वाली अवधि हेतु, अटकी हुए पारेषण और/या वितरण क्षमता के लिये अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के बराबर राशि का भुगतान करेगा;

(b) दीर्घावधि ग्राहक जिसने न्यूनतम 12 (बारह) वर्ष हेतु अभिगमन अधिकारों का उपयोग नहीं किया है

ऐसा ग्राहक अभिगमन अधिकारों की 12 (बारह) वर्ष से कम पड़ने वाली अवधि हेतु, अटकी हुई पारेषण और/या वितरण क्षमता के लिये अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के बराबर राशि का भुगतान करेगा;

परन्तु ऐसा ग्राहक उस तिथि, जिस से वह अभिगमन अधिकार त्यागना चाहता है से कम से कम 1 (एक) वर्ष पहले नोडल एजेन्सी के पास आवेदन करेगा:

परन्तु आगे यह कि यदि एक ग्राहक एक वर्ष से कम की नोटिस अवधि पर किसी समय पर दीर्घावधि–अभिगमन अधिकारो को त्यागने के लिये आवेदन करता है तो ऐसा ग्राहक एक(1) वर्ष की नोटिस अवधि से कम पड़ने वाली अवधि हेतु अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के बराबर राशि का भुगतान करेगा इसके अतिरिक्त उसे अभिगमन अधिकारों की 12 (बारह) वर्ष से कम पड़ने वाली अवधि हेतु अटकी हुई पारेषण और/या वितरण क्षमता के लिये अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के बराबर राशि का भुगतान भी करना होगा।

(c) बट्टा दर, जो ऊपर उप–विनियम (1) के खण्ड (a) एवं (b) में संदर्भित शुद्ध वर्तमान मूल्य संगणित करने के लिये लागू होगी, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु बोली प्रकिया द्वारा शुल्क के अवधारण हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार समय–समय पर जारी केन्द्रीय आयोग की अधिसूचना में बोली मूल्यांकन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली बट्टा दर होगी।

(d) अटकी हुई पारेषण और/या वितरण क्षमता हेतु दीर्घावधि ग्राहक द्वारा भुगतान की गई प्रतिपूर्ति का उपयोग, ऐसे दीर्घावधि ग्राहकों और मध्यम अवधि ग्राहकों द्वारा उस वर्ष जिस में ऐसी प्रतिपूर्ति देय है, में अन्य दीर्घावधि ग्राहकों और मध्यम अवधि ग्राहकों द्वारा देय पारेषण और/या व्हीलिंग प्रभार कम करने के लिये किया जायेगा।

(2) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक

एक मध्यम अवधि उन्मुक्त अवधि ग्राहक, नोडल एजेन्सी को कम से कम 30 दिन का पूर्व नोटिस दे कर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अधिकारों को त्याग सकता है;

परन्तु अपने अधिकार त्यागने वाला मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, त्याग की अवधि या 30 दिन, दोनों मे से जो कम हो, के लिये लागू उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों का भुगतान करेगा।

(3) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक

(a) अग्रिम में नोडल एजेन्सी द्वारा स्वीकार की गई लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूची, लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा नोडल ऐजेन्सी को इस आशय का आवेदन करने पर रद्द की जा सकती है या नीचे की ओर संशोधित की जा सकती है;
परन्तु लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूची का ऐसा रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधित दो (2) दिन की न्यूनतम अवधि की समाप्ति से पहले प्रभावी नहीं होगा;
परन्तु आगे यह कि वह दिन, जिस दिन नोडल एजेन्सी पर अनुसूची का रद्दकरण या

नीचे की ओर संशोधन तामील किया जाता है और वह दिन, जिस दिन से ऐसा रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधन लागू किया जाना है, को दो (2) दिनों की उवधि मे संगणन हेतु छोड़ दिया जायेगा।

(b) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूची का रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधन चाहने वाला व्यक्ति, नोडल एजेन्सी द्वारा मूल रूप से अनुमोदित अनुसूची के अनुसार, उस अवधि जिस के लिये यथास्थिति, रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधन मांगा गया है, की प्रथम दो (2) दिन की अवधि हेतु तथा उसके पश्चात ऐसे रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधन की अवधि के दौरान नोडल एजेन्सी द्वारा तैयार संशोधित अनुसूची, उन्मुक्त अभिगमन प्रभार छोड़ कर पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा।

(c) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूची का नीचे की ओर संशोधन (शून्य अनुसूची संशोधन सहित) चाहने वाला कोई व्यक्ति, उतने दिन जितने के लिये ऊर्जा अनुसूचित की गई है, के तदनुरूप इन विनियमों के अध्याय–5 में समावेशित विनियम 21 के उप विनियम (2) के खण्ड (b) में विनिर्दिष्ट अनुसूचीकरण प्रणाली प्रभारों का भुगतान करेगा तथा रद्दकरण होने पर, दो (2) दिन या दिनों में रद्दकरण की अवधि, दोनों में जो कम हो, के लिये अतिरिक्त भुगतान करेगा।

39. उन्मुक्त अभिगमन हेतु क्षमता उपलब्धता का संगठन

(1) उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपलब्ध क्षमता, नीचे दी गई कार्यविधि अपनाते हुए STU द्वारा प्रत्येक पारेषण खण्ड के लिये और प्रत्येक उप–स्टेशन के लिये संगठित की जायेगी;

(a) पारेषण प्रणाली खण्ड की उपलब्ध उन्मुक्त अभिगमन क्षमताः = (DC-SD-AC)+NC जहां, DC = MW में पारेषण खण्ड की डिजायन की गई क्षमता, SD = खण्ड में रिकॉर्ड की गई MW में धारणीय मांग, AC = पहले से आबंटित किंतु उपयोग न की गई क्षमता MW में और NC = जोड़े जाने के लिये अपेक्षित MW में नई क्षमता;

(b) एक उप–स्टेशन की उपलब्ध उन्मुक्त अभिगमन क्षमता = (TC-SP-AC)+NC जहां, TC = उप–स्टेशन की ट्रांसफार्मर क्षमता MVA में, SP = उप–स्टेशन पीक MVA में, AC = पहले से आबंटित किंतु उपयोग न करने की क्षमता MVA में और जोड़े जाने के लिये अपेक्षित नई ट्रांसफार्मर क्षमता MVA में;

(c) STU, माह के प्रथम कैलेंडर दिन मासिक आधार पर इन मूल्यों को अद्यतन करेगी और अपनी वेबसाईट में प्रकाशित करेगी;

(2) वितरण अनुज्ञापी वितरण प्रणाली के उस भाग जिस पर उन्मुक्त अभिगमन का निवेदन किया गया है, के लिये आबंटन हेतु उपलब्ध क्षमता अवधारित करेगा।

40. कम किये जाने की प्राथमिकता

जब किसी बाध्यता के कारण अथवा अन्यथा, ग्राहकों की उन्मुक्त अभिगमन सेवा को कम करना आवश्यक हो जाता है तो राज्य ग्रिड संहिता की आवश्यकताओं के अधीन एक वितरण अनुज्ञापी का उन्मुक्त अभिगमन सबसे अंत मे कम किया जायेगा। अन्य में, लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक का अभिगमन सब से पहले कम किया जायेगा उसके पश्चात मध्यम अवधि उन्मुक्त

अभिगमन ग्राहक और उसके दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक का अभिगमन कम किया जायेगा। अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के मामले में उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों का अभिगमन कम करना CERC विनियमों के अनुसार शासित होगा। तथापि, राज्यान्तर्गत संव्यवहारों के मामले में इसका कम करना SLDC द्वारा इसके लिये संरचित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

41. कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां

यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य पारेषण कंपनी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वितरण अनुज्ञापी और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है जैसी आयोग को कठिनाईयां दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

<u>लघु अवधि हेतु प्रारूप</u>

<u>प्रारूप – ST1</u>

लघु – अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिये आवेदन

(SLDC के ग्राहक द्वारा जमा किया जाये)

सेवा में: उप महाप्रबंधक (SLDC),

1	ग्राहक आवेदन सं0		दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

<रजिस्ट्रेशन कूट SLDC द्वारा प्रदान किये गये अनुसार होगा >

6	संहिता के संव्यवहार पक्ष का विवरण		
		इन्जेक्टिंग कंपनी	निकासक कंपनी
	कंपनी का नाम		
	कंपनी की प्रास्थिति*		
	कंपनी जिस में यह अन्तः स्थापित है		

<*स्वामित्व के संबंध में – राज्य कंपनी/CPP/IPP/ISGS/डिस्कॉम/उपभोक्ता/यदि कोई अन्य है तो विनिर्दिष्ट करें>

7	इन्जेक्टिंग/राज्यान्तर्गत प्रणाली के साथ निकासक संयोजिता			
			इन्जेक्टिंग कंपनी	निकासक कंपनी
	उप–स्टेशन का नाम	पारेषण		
		वितरण		
	वोल्टेज स्तर	पारेषण		
		वितरण		
	अनुज्ञापी का नाम (s/s का स्वामी)			
	अन्तरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी			
	अन्तरित अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापी			

8	मांगा गया उन्मुक्त अभिगमन (अवधि दिनांक _______ से दिनांक _______ तक)				
	दिनांक		घंटे		क्षमता
	से	तक	से	तक	MW

9	PPA/PSA/MoU का विवरण					
	पक्षों का नाम और पता		PPA/ PSA/ MoU की तिथि	वैधता अवधि		क्षमता
	विक्रेता	क्रेता		प्रारम्भ	समाप्ति	MW

10	जमा की गई अप्रतिदेय आवेदन फीस का विवरण				
	बैंक विवरण	लिखित विवरण			राशि (रू0)
		प्रकार (ड्राफ्ट/नकद)	लिखित सं0	दिनांक	

11	मैं एतद् द्वारा SLDC को उक्त आवेदन के प्रक्रमण हेतु प्राधिकृत करता हूं, यदि आगामी दिवस अनुसूचीकरण हेतु, आबंटित उन्मुक्त अभिगमन क्षमता सुसंगत विनियमों के उपबंधों के अनुसार है।

12	घोषणा
	संव्यवहार हेतु सभी कंपनियां विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम), UERC (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 तथा समय – समय पर संशोधित कोई अन्य सुसंगत विनियम/आदेश/संहिता के उपबंधों की पाबंद रहेंगी

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

नाम एवं पदनाम

संलग्नक

(1) डिमांड ड्राफ्ट या नकद रसीद या नोडल एजेन्सी को स्वीकार्य किसी अन्य माध्यम द्वारा अप्रतिदेय आवेदन शुल्क।

(2) संविदाकृत ऊर्जा, संव्यवहार की अवधि, निकाली पैटर्न, इन्जेक्शन और निकासी का/के बिंदु इत्यादि का उल्लेख करते हुए संव्यवहार के पक्षों (क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए PPA/PSA/MoU की स्वतः प्रमाणित प्रति

(3) यदि कोई अन्य हों

सुसंगत संलग्नकों ऊपर (1) व (2) को छोड़ कर, के साथ निम्नलिखित को प्रति;

(1) पारेषण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक

(2) वितरण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक

(3) संव्यवहार में संलग्न पारेषण उप–स्टेशन का प्रभारी अधिकारी

(4) संव्यवहार में संलग्न वितरण उप–स्टेशन का प्रभारी अधिकारी

(5) अन्य संबंधित

SLDC के उपयोग हेतु (आवेदन के नामांकन के संदर्भ में)	
SLDC संदर्भ ID सं0	
नोडल SLDC अनुमोदन सं0	<यदि अनुमोदित हो>
या इन्कार का कारण* (यदि इन्कार किया गया हो)	

<* SLDC प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर कर इन्कार के कारणों हेतु समर्थक दस्तावेज संलग्न कर सकता है>

अभिस्वीकृति

(केवल कार्यालय उपयोग के लिये)

लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिये आवेदन

(A) <ग्राहक द्वारा भरा जाये>

1	ग्राहक आवेदन सं0		दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

<रजिस्ट्रेशन कूट SLDC द्वारा प्रदान किये गये अनुसार होगा>

आवेदन की प्राप्ति की तिथि और समय	

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम और पदनाम

....

अभिस्वीकृति

(विधिवत भरे गये आवेदन की प्राप्ति पर SLDC द्वारा ग्राहक को तुरन्त जारी की जाये)

लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिये आवेदन

(A) <ग्राहक द्वारा भरा जाये>

1	ग्राहक आवेदन सं0		दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

<रजिस्ट्रेशन कूट SLDC द्वारा प्रदान किये गये अनुसार होगा>

(B) <SLDC द्वारा भरा जाये>

आवेदन प्राप्त किये जाने की तिथि और समय	

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

N.B : यह प्रतिपर्ण स्कोर किया जाये और ग्राहक को जारी किया जाये

लघु अवधि हेतु प्रारूप
प्रारूप – ST2

लघु – अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु अनुमोदन

(SLDC द्वारा जारी किये जाने के लिये)

	नोडल SLDC अनुमोदन सं0		दिनांक	

1	ग्राहक आवेदन सं0	<प्रारूप ST-1 में प्रदान किये गये अनुसार>	दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

6	ग्रिड के संव्यवहार पक्षों का विवरण		
		इन्जेक्टिंग कंपनी	निकासक कंपनी
	कंपनी का नाम		
	कंपनी की प्रास्थिति*		
	वह कंपनी जिस में यह अन्तः स्थापित है		

<*स्वामित्व के मामले में–कंपनी/CPP/IPP/ISGS/डिस्कॉम/उपभोक्ता का उल्लेख करें/यदि कोई अन्य है तो विनिर्दिष्ट करें>

7	राज्यान्तर्गत प्रणाली के साथ इन्जेक्टिंग/निकासक संयोजन का विवरण			
			इन्जेक्टिंग कंपनी	निकासक कंपनी
	उप–स्टेशन का नाम	पारेषण		
		वितरण		
	वोल्टेज स्तर	पारेषण		
		वितरण		
	अनुज्ञापी का नाम (s/s का स्वामी)			
	अन्तरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी			
	अन्तरित अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापी			

8	उन्मुक्त अभिगमन अनुमोदन (दिनांक .... से दिनांक ...... की अवधि					पुनरीक्षण सं0		
	माह	दिनांक		घंटे		क्षमता (MW)		MWh
		से	तक	से	तक	आवेदित	आबंटित	
						कुल MWh		

9	बोली का विवरण <केवल बोली के मामले में>					
	राज्यान्तर्गत प्रणाली का विवरण	दिनांक		घंटे		लागू दर (Rs./KWh)
		से	तक	से	तक	
	पारेषण प्रणाली					
	वितरण प्रणाली					

10. अनुमोदन, UERC (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 तथा समय–समय पर संशोधित और लागू किन्हीं अन्य सुसंगत विनियम/आदेश/संहिता के अधीन है। <केवल अनुमोदन के मामले में>

11. के कारण कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा रहा है <केवल अस्वीकार करने के मामले में>

< यदि उन्मुक्त अभिगमन हेतु इन्कार किया जाता है SLDC विशिष्ट कारण प्रदान करेगा और प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर कर उसके साथ समर्थक दस्तावेज संलग्न करेगा>

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

संलग्नक

(1) भुगतानों की अनुसूची <केवल अनुमोदन के मामले में>
(2) पारेषण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक
(3) वितरण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक
(4) संव्यवहार में संलग्न पारेषण उप–स्टेशन का प्रभारी अधिकारी
(5) संव्यवहार में संलग्न वितरण उप–स्टेशन का प्रभारी अधिकारी
(6) अन्य संबंधित

लघु अवधि हेतु प्रारूप
प्रारूप – ST2 का संलग्नक

भुगतानों की अनुसूची

(प्रारूप ST 2 के साथ SLDC द्वारा प्रत्येक माह हेतु संलग्न किया जाये)

	नोडल SLDC अनुमोदन सं0		दिनांक	

1	ग्राहक आवेदन सं0	<प्रारूप ST-1 में प्रदान किये गये अनुसार>	दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<क्रेता/विक्रेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (क्रेता/विक्रेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

6	लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों के लिये अस्थायी* भुगतान अनुसूची (अवधि : दिनांक ....से दिनांक .... तक)			माह	
	प्रभारीय भुगतान	दर (Rs./kWh)	MWh	Total (Rs.)	
	(1) राज्यान्तर्गत नेटवर्क				
	(a) पारेषण प्रभार				
	अंतरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी (यदि कोई है)				
	(b) व्हीलिंग प्रभार				
	वितरण अनुज्ञापी				
	अंतरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी (यदि कोई है)				
	(c) अधिभार				
	वितरण अनुज्ञापी				
	(d) अतिरिक्त अधिभार				
	वितरण अनुज्ञापी				
	(e) SLDC प्रभार				
	SLDC				
	(2) अन्तर्राज्यीय नेटवर्क				
	पारेषण प्रभार				
	अंतरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी (यदि कोई है)				
	कुल मासिक भुगतान राशि				

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

* आवेदन में उल्लिखित MWh के आधार पर अस्थायी जो वास्तविक प्रचालन पर परिवर्तित हो सकेगी

लघु अवधि हेतु प्रारूप
प्रारूप – ST3

संकुलन सूचना और बोली आमंत्रण

(SLDC द्वारा आमंत्रित किये जाने के लिये)

SLDC बोली आमंत्रण सं0 .... दिनांक ....

1	ग्राहक आवेदन सं0	<प्रारूप ST-1 में प्रदान किये गये अनुसार>	दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<क्रेता/विक्रेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (क्रेता/विक्रेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

6. अपेक्षित संकुलन (ट्रांसफॉर्मर और विद्युत लाईन/लिंक) निम्नानुसार है

नेटवर्क कॉरीडोर		संकुलन अवधि				उपलब्ध मार्जिन/क्षमता	सभी ग्राहकों द्वारा आवेदित कुल क्षमता
ट्रांसफॉर्मर क्षमता के साथ उप–स्टेशन	क्षमता के साथ विद्युत लाईन/लिंक	दिनांक		घंटे			
		से	तक	से	तक	MW	MW
राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली							
राज्यान्तर्गत वितरण प्रणाली							
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली							

7. उपरोक्त के ध्यान में रखते हुए कृपया बोली प्रारूप (प्रारूप) में प्रदान करें। बोली का वितरण नीचे दिये गये अनुसार है;

(a) बोली आमंत्रण तिथि		समय	
(b) बोली जमा करने की तिथि		समय	
(c) बोली खुलने की तिथि		समय	
(d) बोली आमंत्रण कार्यस्थान			

राज्यान्तर्गत नेटवर्क कॉरीडोर		संकुलन अवधि				बोली हेतु उपलब्ध मार्जिन/क्षमता	निम्नतय मूल्य
उप–स्टेशन	विद्युत लाईन/लिंक	दिनांक		घंटे			
		से	तक	से	तक	MW	Rs/kWh
पारेषण प्रणाली का नाम							
वितरण प्रणाली का नाम							

8. बोली जमा न होने पर आवेदन वापस ले लिया गया माना जायेगा तथा इसका प्रक्रमण नहीं किया जायेगा।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

ग्राहकों को : उनके संदर्भ के साथ <प्रारूप ST 1 में क्रम सं0 1 में ग्राहकों द्वारा प्रदान किये गये रूप में>

लघु अवधि हेतु प्रारूप
प्रारूप – ST4

बोली प्रस्ताव

(SLDC के ग्राहक द्वारा जमा किये जाये)

संदर्भ : SLDC बोली आमंत्रण सं0 .... दिनांक ....

सेवा में : उप महाप्रबंधक (SLDC),

1	ग्राहक आवेदन सं0	<प्रारूप ST-1 पर दिये गये अनुसार>	दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<क्रेता/विक्रेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (क्रेता/विक्रेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

6. उपरोक्त बोली आमंत्रण के संबंध में, मैं एतद्द्वारा अपनी बोली निम्नलिखित रूप में जमा करता हूं :

द्वारा प्रदान किये गये अनुसार बोली विवरण								बोली दाता द्वारा दिया जाने वाला मूल्य
राज्यान्तर्गत नेटवर्क कॉरीडोर		संकुलन अवधि				बोली हेतु उपलब्ध मार्जिन/क्षमता	निम्नतम मूल्य	
उप–स्टेशन	विद्युत लाईन/लिंक	दिनांक		घंटे				
		से	तक	से	तक	MW	Paise /kWh	Paise/kWh
पारेषण प्रणाली का नाम								
वितरण प्रणाली का नाम								

<*बोली दाता मूल्य निम्नतम मूल्य में (पूर्णांकित) प्रदान करेगा>

7. मैं एतद्द्वारा सहमत हूँ कि अवधारित मूल्य पारेषण और या व्हीलिंग प्रभार होगा/होंगे:

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।